न्यायिका- गृह पत्रिका

न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय,
भारत सरकार
जैसलमेर हाउस, 26 मानसिंह रोड,
नई दिल्ली-110011

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

न्यायिका परिवार

संरक्षक
श्री राज कुमार गोयल, माननीय सचिव (न्याय)

प्रधान संपादक
श्री गौरव मसलदान, संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं
अध्यक्ष विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संपादक
श्री संजय कुमार, अवर सचिव (प्रशासन-I)

संपादक मण्डल
श्री एम. एल. गुप्त, परामर्शदाता (रा.भा.)
श्री यशस्वी कुमार, निदेशक (एनएम, जेआर-II)
श्री रमेश चन्द आहूजा, उप सचिव (प्रशासन)
श्री नारायण प्रसाद, निदेशक (नियुक्ति)
श्री प्रेम चन्द, अवर सचिव (नियुक्ति-II)
श्री विवेक कुमार, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (रा.भा.)

टंकण सहयोग
श्री संतोष कुमार, आशुलिपिक (रा.भा.)

संकल्पना एवं डिजाइन
श्री सुभाष चन्द्र, डीईओ (रा.भा.)

प्रकाशक
राजभाषा अनुभाग
न्याय विभाग

विषय सूची

क्र. सं.	सामग्री	लेखक/लेखिका का नाम	पृष्ठ संख्या
1	आवरण पृष्ठ	-	1-2
2	न्यायिका परिवार		3
3	सूची		4
4	माननीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का शुभकामना संदेश	माननीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी	5
5	सचिव (न्याय) का संदेश	श्री राज कुमार गोयल	6
6	संयुक्त सचिव का संदेश	श्री गौरव मसलदान	7
7	संपादकीय (संपादक की कलम से)	श्री संजय कुमार	8
8	न्याय विभाग से संबंधित संक्षिप्त परिचय	श्री ए. एस. लुंग्रेसांग	9
9	न्याय विभाग में वर्ष के दौरान आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं गतिविधियां	श्री संजय कुमार तिवारी एवं श्री राहुल छाबड़ा	10-17
10	राजभाषा नीति	श्री सुभाष चन्द्र (संकलनकर्ता)	18-20
11	एकाकी	श्री यशस्वी कुमार	21
12	भूली बिसरी यादें	श्री आर. सी. आहूजा	22-23
13	होम्योपैथी का विकास एवं भारत में वर्तमान स्थिति	श्री मुरारी लाल गुप्त	24-27
14	मेरी मनुस्यारी खलियाटॉप ट्रैकिंग	श्री चांदवीर	28-30
15	काश एक पेड़ हिंदी का होता	श्री विकाश कुमार	31
16	व्यावहारिक अर्थशास्त्र	श्री गौरव कुमार त्रिपाठी	32-33
17	पिता की भूमिका	श्री राजेश सागर	34
18	राजभाषा नीति संबंधी महत्वपूर्ण आदेशों का संकलन	श्री विवेक कुमार	35-37
19	सच्चा श्राद्ध	श्री विजेन्द्र छिकारा	38
20	तेरे जाने से हुई मेरी दुनिया अधूरी, भारत में हिंदी का विकास	श्री आकाश कुमार जायसवाल	39
21	मेरी कश्मीर यात्रा	श्री अनिल कुमार	40-41
22	**रसोई की महक**		
	(i) चम्बा चुख	श्री हेमेन्द्र सिंह	42-43
	(ii) बिहारी ठेकुआ रेसिपी, जितना पुरुष मुक्त है, स्त्री भी होनी चाहिए	डॉ. स्नेहा शर्मा	44-45
23	मैं निर्दोष हूं, समर्पित	सुश्री अर्पिता गुप्ता	46
24	हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान	श्री नरेन्द्र कुमार	47-51
25	भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ समारोह-भारत @75: अतीत, वर्तमान और भविष्य	राष्ट्रीय मिशन एवं न्यायिक सुधार अनुभाग	52-53
26	मिडिल क्लास की स्थिति	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	54
27	मां	सुश्री कल्याणी	55
28	एक नजर पिता पर भी	श्री वरुण शर्मा	56
29	महत्वपूर्ण जानकारी	सुश्री कल्पना	57
30	परी हूं – कली हूं	कु. कीर्ति शर्मा पुत्री श्री वरुण शर्मा	58
31	मेरी शिमला यात्रा	कु. अनहिता त्रिपाठी	59
32	भट्टूजी की सगाई	अभिज्ञान वर्मा	60
33	दैनिक प्रयोग में आने वाले हिंदी और अंग्रेजी वाक्यांश	श्री संतोष कुमार	61-63

अर्जुन राम मेघवाल
Arjun Ram Meghwal

विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
व
संसदीय कार्य राज्य मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली–110001
MINISTER OF STATE (I/C) FOR LAW & JUSTICE
AND
MINISTER OF STATE FOR
PARLIAMENTARY AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA, NEW DELHI-110001

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

शुभकामना संदेश

सरकारी कार्यालयों में राजभाषा में काम करना न केवल हमारी सांविधिक ज़िम्मेदारी है, बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है। सरकारी कर्मचारी होने के नाते हमारी सांविधिक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम सभी को राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के अनुसरण में हिंदी के प्रसार और विकास की गति बढ़ाने में प्रयासरत रहना चाहिए।

मुझे यह जानकार अति प्रसन्नता हुई कि न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली के राजभाषा अनुभाग द्वारा अपनी गृह पत्रिका **"न्यायिका"** का प्रकाशन किया जा रहा है । यह न्याय विभाग का एक प्रेरणादायी और सराहनीय कदम है। आशा करता हूं कि न्यायिक क्षेत्र में भी राजभाषा के प्रयोग में वृद्धि होगी।

हिंदी से हमारी राष्ट्रीय पहचान जुड़ी है। यह भाषा सरल और सुगम होने के कारण सभी को एक सूत्र में पिरोये रखने का कार्य करती है। मुझे विश्वास है कि गृह पत्रिका **"न्यायिका"** में राजभाषा और न्याय प्रक्रिया तथा न्याय विभाग की गतिविधियों के बारे में ऐसे सारगर्भित एवं प्रेरणादायक लेखों का समावेश किया जाएगा, जो राजभाषा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के साथ-साथ न्याय से जुड़ी विभिन्न सरकारी नीतियों और गतिविधियों की जानकारी देश के अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे ।

मैं न्याय विभाग की इस प्रशंसनीय पहल की अति सराहना करता हूं और गृह पत्रिका **"न्यायिका"** के सफल प्रकाशन हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।

(अर्जुन राम मेघवाल)

Room No. 402, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001 • Tel : 011-23387557, 23386974, 23386976 Fax : 011-23384241
Parliament : F-48, NBP, Parliament House, New Delhi-110 001 • Tel : 23083934 Fax : 011-23083935
Delhi Residence : 5A, K. Kamraj Marg, New Delhi-110 001 • Tel : 011-23011770/71 Telefax : 011-23011772
Residence : Sansad Seva Kendra, C-66, Khaturia Colony, Bikaner, Rajasthan, Phone : 0151-2230260
E-mail : mljoffice@gov.in/arjunrammeghwal@gmail.com

राज कुमार गोयल, भा.प्र.से.
RAJ KUMAR GOYAL, IAS
सचिव
SECRETARY

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
DEPARTMENT OF JUSTICE

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली राजभाषायी गृह पत्रिका '**न्यायिका**' का प्रकाशन करने जा रहा है। राजभाषा के रूप में हिंदी का सफर लगभग सात दशक का है। इसके विकास में संचार माध्यमों जैसे - दूरदर्शन, आकाशवाणी, हिंदी फिल्मों और साहित्य का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजभाषा संबंधी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से न केवल राजभाषा के प्रगामी अनुप्रयोग को बढ़ावा मिलता है बल्कि अधिकारियों/कर्मचारियों को रचनात्मक क्षमता के प्रदर्शन की एक दिशा भी मिलती है। भाषा की आत्म निर्भरता स्वाधीन राष्ट्र की आत्मा होती है।

भारत विभिन्नताओं का देश है जिसमें बहुत-सी भाषाएं प्रचलन में हैं। सरकार को जनता से जोड़ने के लिए सरकारी कार्य ऐसी भाषा में करने की आवश्यकता है, जो कि आम जन-मानस से जुड़ी हो। इस कसौटी पर भारत में सर्वाधिक प्रचलित हिंदी भाषा खरी उतरती है और इसीलिए हिंदी को राजभाषा का गौरवमयी स्थान प्रदान किया गया है। जनता की भाषा में सरकारी काम-काज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।

यह गर्व का विषय है कि राजभाषा हिंदी की व्यापकता और सार्थकता को आज विश्व ने भी स्वीकार किया है। भारत जैसे बहुभाषी देश में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी एक सफल भूमिका निभाती रही है। हिंदी बोलने और समझने वालों का विशाल जन समूह है। मैं न्याय विभाग की राजभाषायी गृह पत्रिका '**न्यायिका**' के संपादन एवं प्रकाशन हेतु राजभाषा अनुभाग और संपादक मंडल को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।

जय हिंद !

(राज कुमार गोयल)

कमरा नं 14, जैसलमेर हाउस, 26 मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011, टेलि : +91-11-23383674 फैक्स : +91-11-23384516, ई–मेल : secy-jus@gov.in
Room No.: 14, Jaisalmer House, 26 Mansingh Road, New Delhi-110011, Tel : +91-11-23383674 (O), Fax : +91-11-23384516, Email : secy-jus@gov.in

गौरव मसलदान
संयुक्त सचिव
Gaurav Masaldan
Joint Secretary

भारत 2023 INDIA

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
DEPARTMENT OF JUSTICE

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि लंबे समय के अथक प्रयासों के बाद न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राजभाषायी गृह पत्रिका **'न्यायिका'** का प्रकाशन किया जा रहा है। यह न्याय विभाग की एक अनूठी पहल और सकारात्मक सोच का परिणाम है जो सदैव स्मरणीय बनी रहेगी और अपने कर्तव्यों और दायित्वों का बोध कराती रहेगी ।

भारत एक बहुभाषी देश है जहां अलग-अलग राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं । फिर भी, एक सर्वमान्य कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी का चयन उसके भाषा सामर्थ्य को दर्शाता है। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची परिचायक है, जिसे सामान्य व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है।

कार्यालयों में पत्रिकाओं का प्रकाशन कार्मिकों की रचनात्मक प्रतिभा के विकास के साथ उनके ज्ञानवर्धन का भी साधन है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कि गृह पत्रिकाओं के माध्यम से भाषा का परिष्कार, परिमार्जन एवं मानक शैली का सशक्तीकरण होता है। यही पत्रिका प्रकाशन का ध्येयसिद्ध भी है। न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली की राजभाषायी गृह पत्रिका **'न्यायिका'** का प्रकाशन इस दिशा में एक सराहनीय कदम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि **'न्यायिका'** में प्रकाशित रचनाएं पाठकों के मन में हिंदी भाषा के प्रति आकर्षण एवं सकारात्मक अभिव्यक्ति पैदा करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी।

मैं 'न्यायिका' के संपादक मण्डल और रचनाकारों को उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगामी वर्षों में भी यह गृह पत्रिका अपनी भूमिका का निर्वहन इसी भांति करती रहेगी।

जय हिन्द ! जय भारत ! जय राजभाषा !

गौरव मसलदान

(गौरव मसलदान)

जैसलमेर हाउस, 26 मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011, दूरभाष : +91-11-23072142, ई–मेल : masaldan.gaurav@nic.in
Jaisalmer House, 26 Man Singh Road, New Delhi-110011, Tel : +91-11-23072142, Email : masaldan.gaurav@nic.in
Website : www.doj.gov.in

संजय कुमार
अवर सचिव (प्रशासन)
न्याय विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय

किसी भी राष्ट्र की पहचान के लिए उसकी भौगोलिक सीमा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा महत्वपूर्ण कारक हैं । भारत बहुभाषा-भाषियों का देश है और राजभाषा विभिन्न भाषाओं के बीच सेतु का काम करती है । यह भारत की विविधता में एकता और अखंडता को मूर्त रूप देने में सर्वाधिक सक्षम है । इसलिए भारत के संविधान में सरकार को हिंदी के विकास और प्रचार-प्रसार की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है तथा सभी सरकारी कार्मिकों का यह नैतिक दायित्व है कि वे राजभाषा को स्वीकार कर गुलामी की निशानी को सदैव के लिए मिटा दें।

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि न्याय विभाग अपनी इस गृह पत्रिका 'न्यायिका' के माध्यम से न केवल न्यायिक क्षेत्र में बल्कि ज्ञान-विज्ञान के अन्य क्षेत्रों से संबन्धित महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाशित करेगा। यह गृह पत्रिका मानवीय विचारों के आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी । सरकारी कार्यालयों में हिंदी के कामकाज में वृद्धि हो रही है । न्याय विभाग प्रशासनिक गतिविधियों के साथ-साथ राजभाषा कार्यान्वयन एवं राजभाषा के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्टता की संस्कृति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और न्याय विभाग द्वारा हिंदी में कार्य करने हेतु समुचित वातावरण बनाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। 'न्यायिका' उन्हीं प्रयासों की एक कड़ी के रूप में आपके सामने आ रही है। पत्रिका में शामिल न्याय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की रचनाएं उनके व्यक्तित्व की परिचायक हैं जिनके माध्यम से न्याय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के न केवल पारस्परिक कार्यालयीन संबंध ही प्रगाढ़ होंगे बल्कि उनके परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने का भी अवसर मिलेगा।

मुझे आशा है कि यह प्रयास राजभाषा के प्रचार-प्रसार की सार्थकता सुनिश्चित करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 'न्यायिका' का यह प्रथम अंक आपके लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होगा तथा हमें इसी प्रकार आपका अनवरत सहयोग मिलता रहेगा। मैं गृह पत्रिका 'न्यायिका' के प्रकाशन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी सहयोगियों और उनके पारिवारिक सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनका परम आभार व्यक्त करता हूं।

संजय कुमार

(संजय कुमार)

न्याय विभाग से संबंधित संक्षिप्त परिचय

ए.एस. लुंग्रेसांग
अवर सचिव (प्रशासन-II)

कार्य आवंटन (नियम), 1961 के अनुसार न्याय विभाग भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय का एक हिस्सा है। यह भारत सरकार के सबसे पुराने मंत्रालयों में से एक है। दिनांक 31.12.2009 तक न्याय विभाग गृह मंत्रालय का हिस्सा था और केंद्रीय गृह सचिव न्याय विभाग के सचिव थे। देश में न्यायिक सुधारों पर बढ़ते कार्यभार और कई नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने को ध्यान में रखते हुए, न्याय विभाग नामक एक अलग विभाग को गृह मंत्रालय से अलग कर भारत सरकार के सचिव के प्रभार में रखा गया और इसने 1 जनवरी, 2010 से विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत काम करना शुरू कर दिया। यह विभाग जैसलमेर हाउस, 26, मान सिंह रोड, नई दिल्ली में स्थित है। विभाग की संगठनात्मक संरचना में 04 संयुक्त सचिव, 08 निदेशक/उप सचिव और 11 अवर सचिव शामिल हैं। न्याय विभाग के कार्यों में भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाना तथा उनकी सेवा से संबंधित मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह विभाग न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास, संवेदनशील प्रकृति के मामलों की त्वरित सुनवाई और निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना (बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय), देश भर के विभिन्न न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण, ई-कोर्ट परियोजना, गरीबों को कानूनी सहायता और न्याय तक पहुंच, देश के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को वित्तीय सहायता की महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करता है।

संजय कुमार तिवारी
अनुभाग अधिकारी
(प्रशासन-I)

राहुल छाबड़ा
अनुभाग अधिकारी
(प्रशासन-II)

न्याय विभाग में वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं गतिविधियां

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत न्याय विभाग ने निम्नलिखित कार्यवाहियां शुरू की हैं:

(क) विभाग के एक अनुभाग अधिकारी को आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदनों को एकत्रित करने तथा उन्हें संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित करने तथा आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान के संबंध में त्रैमासिक विवरण केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत करने के लिए सी.ए.पी.आई.ओ. के रूप में पदनामित किया गया है।

(ख) विभाग के कार्यों और उसके पदाधिकारियों को उनके द्वारा संभाले जा रहे विषयों के संबंध में आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (आई) के तहत अपेक्षित विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://doj.gov.in) के आरटीआई पोर्टल पर डाला गया है।

(ग) आवंटित विषयों के अनुसार अवर सचिवों/अनुभाग अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (i) के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नियुक्त किया गया है।

(घ) आवंटित विषयों के लिए कार्यरत अवर सचिवों/अनुभाग अधिकारियों के संबंध में आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 (i) के अनुसार निदेशकों/उप सचिव/अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है ।

(ङ) वर्ष 2024-25 (01.01.2024) से (31.12.2024) के दौरान, 108 आरटीआई आवेदन और 9 अपीलें मैन्युअल रूप से प्राप्त हुईं और 4756 आरटीआई आवेदन और 145 अपीलें विभाग में ऑनलाइन प्राप्त हुईं और मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए संबंधित सीपीआईओ/सार्वजनिक प्राधिकरणों को अग्रेषित कर दी गई हैं।

(च) डीओपीटी के दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/5/2011- आईआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार, विभाग सभी आरटीआई और अपील के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

वर्ष 2024 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है:-

मामला	ऑनलाइन	ऑफलाइन
सूचना का अधिकार	4756	108
निवेदन	145	09

महिला सशक्तिकरण

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के अनुपालन में, विभाग की पीड़ित महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए दिनांक 20.09.2023 को आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति में तीन महिला कर्मचारी (एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) से एक सदस्य सहित) और दो पुरुष कर्मचारी शामिल हैं। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस मुद्दे के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए 27 दिसंबर, 2024 को न्याय विभाग में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

स्वच्छ भारत अभियान

भारत सरकार के नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार विभाग में स्वच्छ भारत कार्यक्रम लागू किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान, दिनांक 01.09.2024 से 15.09.2024 तक 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाया गया तथा 'स्वच्छता ही सेवा' नामक एक अन्य कार्यक्रम मनाया गया तथा लॉन का सौंदर्यीकरण, परिसर के अंदर वृक्षारोपण, व्यापक सफाई अभियान, पुराने अभिलेखों की छंटाई, पुरानी और अप्रचलित वस्तुओं का निपटान तथा न्याय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक श्रमदान जैसी गतिविधियां की गईं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कार्यालय परिसर के रखरखाव के लिए स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत कार्यों के लिए 50.00 लाख रुपये निर्धारित किए गए। इस पर (दिनांक 31.12.2024 तक) 49.42 लाख रुपये का व्यय हुआ।

स्वच्छता पखवाड़ा अभियान समापन समारोह के अवसर पर कार्मिकों को पुरस्कार वितरित करते हुए माननीय विधि एवं न्याय मंत्री और माननीय सचिव, न्याय विभाग

ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

कागज रहित कार्यालय की ओर बढ़ने की सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग ने ई-ऑफिस को चालू करने की शुरूआत की है। ई- ऑफिस प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन और सर्वोत्तम उपयोग के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-ऑफिस पर प्रशिक्षण देने के लिए एनआईसी की मदद से विशेष कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप, न्याय विभाग भारत सरकार के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों/विभागों में से एक है, जो पूर्ण रूप से ई-ऑफिस प्लेटफ़ॉर्म पर आ गया है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के बीच डेटा के निर्बाध प्रवाह के लिए, न्याय विभाग पहले ही ई-फाइल (ई-ऑफिस) के संस्करण 7.0 पर माइग्रेट कर चुका है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

विभाग में राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई है। यह भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/अनुदेशों के अनुपालन के दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता करता है। अनुवाद कार्य के अतिरिक्त विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने का कार्य भी इसे सौंपा गया है। त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी की जाती है। वर्ष 2024 में विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की गईं। विभाग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए टिप्पण एवं प्रारूपण से संबंधित योजना कार्यान्वित की जा रही है। टिप्पण एवं प्रारूपण योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (सीटीबी) के सहयोग से न्याय विभाग के अधिकारियों के लिए 05 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशालाओं और त्रैमासिक बैठकों के आयोजन के अतिरिक्त, न्याय विभाग के 30 अधिकारियों/कर्मचारियों को नव विकसित अनुवाद सॉफ्टवेयर, *"कंठस्थ 2.0" पर डेस्क प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे इस उपकरण का उपयोग करके दस्तावेजों का अनुवाद करने में सक्षम और प्रोत्साहित हो सकें।* कंठस्थ स्वदेशी सॉफ्टवेयर को अब राजभाषा विभाग द्वारा ई-ऑफिस पर भी अपलोड कर दिया गया है। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सॉफ्टवेयर का उपयोग द्विभाषी उद्देश्य के लिए करें।

विभाग का राजभाषा अनुभाग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी व्यवस्था करता है। वर्ष 2024-25 में विभाग में दो पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पारंगत प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को निर्धारित अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राजभाषा अधिनियम पर दो कार्यशालाएं और उच्चाधिकारियों के निजी सचिवों और पीएसओ के लिए नोटिंग और ड्राफ्टिंग पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की गई। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 14 से 15 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, 2024 में भाग लिया।

हिंदी पखवाड़ा एवं हिंदी दिवस

विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहित करने के लिए 30 सितम्बर, 2024 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर सचिव (न्याय) की उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री का संदेश पढ़ा गया। अपने संबोधन में सचिव (न्याय) ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपना अधिकतम कार्य हिंदी में करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, विभाग में 14 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिंदी पखवाड़ा मनाने के दौरान, छह प्रतियोगिताएं अर्थात हिंदी निबंध, हिंदी अनुवाद , हिंदी कविता पाठ, हिंदी टंकण, हिंदी श्रुतलेखन और हिंदी आशुलिपि आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में कुल 93 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार (प्रथम: 3,000/-रुपए, द्वितीय: 2,500/-रुपए और तृतीय: 1500/-रुपए) और पांच प्रोत्साहन पुरस्कार 1,000/-रुपए के साथ प्रमाण पत्र दिए गए।

हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा, 2024 के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए माननीय सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी

एक विशेष अभियान 4.0

लंबित मामलों में कमी लाने और स्थान के कुशल प्रबंधन के लिए 2 अक्टूबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक एक विशेष अभियान चलाया गया। स्थान प्रबंधन के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को भी इस अभियान के अंतर्गत लाया गया। अभियान के लंबित मामलों के निपटान के लिए सांसदों, संसदीय आश्वासनों, लोक शिकायतों और राज्य सरकारों के संदर्भों की श्रेणियों के अंतर्गत सभी लंबित मामलों का निपटान किया गया।

राष्ट्रीय एकता दिवस

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर, 2024 को न्याय विभाग परिसर में एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर न्याय विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई ।

एकता दिवस के अवसर पर शपथ लेते हुए न्याय विभाग के अधिकारी ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 (28.10.2024 से 03.11.2024)

विभाग में दिनांक 28.10.2024 से 03.11.2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 मनाया गया। इस कार्यक्रम का विषय'राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति' था। दिनांक 28.10.2024 को न्याय विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई। इस अवसर पर न्याय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन शपथ भी ली गई।

हर घर तिरंगा अभियान, 2024

न्याय विभाग ने समानता, न्याय, शांति के मूल्यों को विकसित करने और आज़ादी के अमृत महोत्सव के सम्मान में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त से 15 अगस्त, 2024 तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान में भाग लिया। इस अभियान को न्यायपालिका द्वारा भी पूरे देश में अभूतपूर्व पैमाने पर मनाया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों ने अपने कर्मचारियों के साथ अपने आवासों और संबंधित कार्यालय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

संविधान दिवस

भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में न्याय विभाग में 26 नवंबर, 2024 को संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर न्याय विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हुए न्याय विभाग के अधिकारीगण

एक पेड़ मां के नाम' वैश्विक अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण करते हुए माननीय विधि एवं न्याय मंत्री और न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण

****

सुभाष चन्द्र (संकलन कर्ता)
डीईओ (रा.भा.)

राजभाषा नीति

राजभाषा नीति के मुख्य दस्तावेजः राजभाषा नीति के मुख्य दस्तावेजों में **भारत का संविधान, राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976** शामिल हैं।

भारत का संविधान

भारतीय संविधान में राजभाषा को लागू करने हेतु कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, जिनमें **1.अनुच्छेद 343**, **2. अनुच्छेद 344 और 3. अनुच्छेद 351** प्रमुख हैं।

1. अनुच्छेद 343 का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया है, जिसका संबंध भारत की राजभाषा से है। इसके अंतर्गत ऊल्लेख है, कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी जिसकी लिपि देवनागरी है। इसमें यह भी उल्लेख है, कि 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, साथ-ही-साथ 15 वर्ष की अवधि के पश्चात भी विधि द्वारा अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने का प्रावधान भी किया गया है।

2. अनुच्छेद 344 का संबंध राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति के गठन एवं उनके कर्तव्यों से जुड़ा है। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को-- (क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के आधिकाधिक प्रयोग, (ख) संघ के सभी या किन्ही शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निबंधनों, (ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, (घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, (ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

राजभाषा आयोग 1955

भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद **344 (1)** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बी. जी. खेर की अध्यक्षता में निम्नांकित विषयों पर सिफारिशें करने के लिए **राजभाषा आयोग** का गठन किया –

(क) संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग,
(ख) संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही,
(ग) संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए,
(घ) संघ के किसी या किन्हीं खास कार्यो के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप,
(ङ) एक समग्र अनुसूची तैयार करना जिसमें ये बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ एवं राज्यों के बीच और एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान धीरे-धीरे हिंदी ले।

3. अनुच्छेद 351

इसमें यह उल्लेख है, कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ाए।

अष्टम अनुसूची के अंतर्गत शामिल भारतीय भाषाएं

असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़ कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी।

राष्ट्रपति का आदेश, 1960

राष्ट्रपति के आदेश 1960 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए-

- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना।
- सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अतिरिक्त मैनुअलों तथा कार्यविधि साहित्य का अनुवाद कार्य एक अभिकरण को सौंपा जाए।
- मानक विधि शब्दकोश बनाने, हिंदी में पुन: अधिनियमन और विधि शब्दावली के निर्माण के लिए विधि विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग स्थापित किया जाए।

राजभाषा अधिनियम, 1963

- धारा 3 के अनुसार संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए 26 जनवरी, 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।
- केंद्र सरकार/हिंदी भाषी राज्यों और हिंदीतर भाषी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा।
- यदि वे कोई पत्र हिंदी में भेजते हैं, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध करवाना होगा।

धारा 3 (3)

निम्नलिखित 14 प्रकार के कागज-पत्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य है- संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली रिपोर्टें, सरकारी कागज-पत्र संविदाएं करार अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, टेंडर – नोटिस, टेंडर फार्म ।

धारा 3 (4)

भाषा को लेकर किसी भी कर्मचारी का कोई अहित नहीं होना चाहिए।

धारा 3 (7)

- राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या देश के लिए हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है।
- अब तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के राज्यपालों ने अपने-अपने उच्च न्यायालयों में उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति से हिंदी के प्रयोग की अनुमति ली है।

राजभाषा संकल्प, 1968

हिंदी के प्रसार एवं गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

हिंदी के साथ-साथ आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

त्रिभाषा सूत्र

हिंदी-भाषी क्षेत्रों में, हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिंदी-भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए।

(क) कुछ विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत: अपेक्षित होगा

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं

संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

राजभाषा नियम, 1976

हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु

- (3) (क) केंद्र सरकार के कार्यालयों से क क्षेत्र के किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र (बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली) को या ऐसे राज्यों के कार्यालयों या व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि अंग्रेजी में पत्र भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।
- केंद्र सरकार के कार्यालयों से ख क्षेत्र के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों (गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़) के प्रशासनों को भेजे जाने वाले पत्र आदि सामान्यत: हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।
- केंद्र सरकार के कार्यालयों से ग क्षेत्र के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पांडिचेरी) के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। यदि कोई पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद साथ में भेजा जाएगा।
- हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएंगे। हिंदी में लिखे या हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों या अभिवेदनों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाएंगे।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की होगी।
- कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभिवेदन हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। उक्त आवेदन, अपील या अभिवेदन हिंदी में होने या उसमें हिंदी में हस्ताक्षर हिंदी में होने पर उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।
- कर्मचारी की इच्छानुसार, उससे संबंधित सेवा विषयों संबंधी आदेश या सूचना उसे हिंदी या अंग्रेजी में अविलंब दी जाएगी।
- केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी फाइल पर हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी या मसौदे लिख सकता है - उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसे दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे।
- किसी कर्मचारी को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा, यदि उसने मैट्रिक या समतुल्य या उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो अथवा हिंदी शिक्षण योजना के अधीन प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर उनमें काम करने वाले हिंदी में प्रवीण कर्मचारियों को टिप्पणी, मसौदा लेखन आदि में केवल हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है।
- प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे।
- राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर है। इस नीति के समन्वय के कार्य राजभाषा विभाग करता है।

***

यशस्वी कुमार
निदेशक (एनएम,जेआर-II एवं ई-कोर्ट)

एकाकी

भीड़ बड़ी इस दुनिया में, मन चाहे एकाकी होना
रिश्ते-नाते स्वार्थ भरे, मन चाहे एकाकी होना।

घर हो या दफ्तर हो, तराजू में तौले जाते हैं,
हर काम हमारा, कर्तव्य हमारा, परखे जाते हैं।
किसको कितना लाभ मिलेगा, कौन कितना दूर तक चलेगा,
इसमें तौले जाते हैं, मन चाहे एकाकी होना।

जब तुमसे मिलने आउंगा, तो क्या-क्या लेकर जाउंगा,
जब तुम मुझसे मिलने आओगे, तो क्या-क्या लेकर आओगे।
इस मन कौतूहल से एकाकी होना चाहूंगा।

इन आशाओं के बंधन में, इक उम्र निकल जाती है इस सोच में,
क्या तेरा है, क्या मेरा है, इस नाप-तौल में, शोर-गुल में,
मन चाहे एकाकी होना।

एक मां का आंचल इतना है, जो मांगो जितना, बढ़ता है,
उसमें कोई कमी नहीं, न स्वार्थ की कोई रेखा है,
मन चाहे एकाकी होना।

कर्तव्य पथ पर चलता रहूं, अपने कर्मों को करता रहूं,
लाभ क्या, नुकसान क्या, इस सोच में क्यों मैं पड़ता रहूं,
मन चाहे एकाकी होना

****

रमेश चंद आहूजा
उप सचिव (प्रशासन)

भूली बिसरी यादें

समय और अनुभव व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है। आज मैं अपनी सरकारी सेवा के लगभग 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हूं। पीछे मुड़ कर देखता हूं तो याद आता है जैसे वो कल का ही तो दिन था जब मैंने सरकारी सेवा में अपना पहला कार्यभार संभाला था। एक छोटे से कस्बे का वह शर्मीला लड़का, जिसे उस समय की उपलब्ध सुविधाओं का तनिक भी ज्ञान नहीं था, जब दिल्ली जैसे महानगर में सरकारी दफ्तर में प्रवेश करता है तो उसे लगता है पता नहीं मैं कहां आ गया।

तत्कालीन अनुभवी साथियों की दी हुई सीख किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं रही है। उनके द्वारा बांटा गया अनुभव, आज भी कार्यालय के दैनिक कार्यों के निपटान में बहुत सहायक सिद्ध होता है।

मैंने बिना कोई प्रशिक्षण प्राप्त किए, तत्कालीन अनुभवी साथियों से ही प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर अपनी सरकारी सेवा के कार्य की शुरुआत की। हालांकि उसके बाद समय-समय पर सरकारी संस्थाओं/प्रशिक्षण संस्थाओं से अलग-अलग तरह के कोर्सों/कार्यक्रमों/सेमिनारों/प्रशिक्षण सत्रों में भी भाग लिया जिनके माध्यम से अपने आप को अद्यतन (update) किया, फिर भी "व्यक्तिगत अनुभव" का अपना महत्व रहा है।

शुरुआती दिनों को याद करने पर मैं दो-तीन लोगों को भुला नहीं सकता जिन्हें यदि "सरकारी सेवा का गुरु" कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें एक सज्जन का नाम संजीव गुप्ता था जिन्होंने मुझे "नोटिंग-ड्राफ्टिंग" पर शुरुआती जानकारी दीं। मैं उन्हें कभी भी भुला नहीं सकता। इसके बाद मुझे एक अन्य सज्जन जिनका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, पर उनकी शक्ल धुंधली-धुंधली याद है, जिन्होंने कार्यालय संबंधी अन्य काफी जानकारी दी, जो मुझे आज भी मदद करती रहती हैं।

सरकारी कार्यालय में कार्य करते हुए सभी को कुछ न कुछ कड़वे अनुभव भी होते हैं। मुझे भी शुरुआती दिनों से ऐसे ही कुछ कड़वे अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। उस समय शायद बहुत बुरा लगा था पर समय बीतने के साथ ही साथ यह भी अहसास हुआ कि ये कड़वे अनुभव भी आपके कार्य निष्पादन और दैनिक व्यवहार में बहुत ज्ञानवर्धक और सहायक होते हैं। कहा भी जाता है कि हर अनुभव चाहे वो अच्छा अनुभव हो या कड़वा एक सीख जरूर दे कर जाता है।

जहां तक तकनीकी परिवर्तन की बात याद करूं तो उस समय उपलब्ध तकनीक और आज उपलब्ध तकनीक में जमीन आसमान का अंतर साफ-साफ नजर आता है। कंप्यूटर की जगह मैनुअल टाइपराइटर उपलब्ध थे।

फोटो कौपियर मशीन बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध थीं। मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं थे केवल लैंडलाइन फोन ही थे। समय के साथ साथ तकनीक में नए-नए साधन उपलब्ध होते गए। हम सभी नई तकनीक को अपनाते गए।

मैंने आज तक लगभग 10 बड़े-छोटे मंत्रालयों/विभागों में काम किया है। हर कार्यालय में काम करने का अपना अनुभव रहा है। शुरुआती नियुक्ति वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में हुई थी। वहां पर ही मैंने नोटिंग-ड्राफ्टिंग, संसदीय कार्य प्रश्नोत्तर-इत्यादि का कार्य सीखा । लगभग 10 वर्ष तक इसी विभाग के भिन्न भिन्न प्रभागों/अनुभागों में अपना कार्य किया। सबसे ज्यादा अनुभव संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय पुरातत्व विभाग (Archeological Survey of India) कार्यालय में कार्य करते हुए हुआ। इस कार्यालय में काम करके मुझे काफी परिपक्वता प्राप्त हुई। यहां पर सह कार्मिकों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है ।

इन सभी बातों को याद करते हुए मैं बहुत भावुक हो रहा हूं। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है कि हमें अच्छी बातों को याद रखना चाहिए और कड़वी बातों को भुला देना चाहिए। अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि अपने सह कर्मियों को हमेशा रेस्पेक्ट देनी चाहिए और उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, यह हमें अपने कार्य में काफी मदद करता है।

****

मुरारी लाल गुप्त
परामर्शदाता (रा.भा.)

होम्योपैथी का विकास एवं भारत में वर्तमान स्थिति

एक समय था जब मानव सभ्यता अत्यधिक निचले स्तर पर थी। रोटी, कपड़ा और मकान का संघर्ष ही बड़ा संघर्ष था। इससे अधिक मनुष्य की सोच नहीं थी। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र, सिनेमा जगत, इंजीनियरी, हवाई जहाज, चिकित्सा विज्ञान, शिक्षा की आधुनिक पद्धति, परिवर्तित संस्कृति एवं सामाजिक मान्यताएं आदि के आधुनिक स्वरूप का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-बाड़ी के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले हल बैल, सिंचाई के लिए प्रयोग में आने वाली रेहट, रहने के लिए मिट्टी के बने घर, पहनने के लिए मोटे खुरदरे सूती वस्त्र, खाने के लिए मोटे अनाज और दूध दही, प्रदूषण मुक्त वातावरण, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति मात्र 50 वर्ष की अवधि में ही चकनाचूर हो गए हैं और बदले में मिला है पाश्चात्य देशों के अंधानुकरण का ऐसा प्रसाद जिससे मानव मूल्य गिरकर रसातल में पहुंच गए हैं। भारत एक विकासशील देश है और विकास का यदि यही क्रम चलता रहा तो विकसित भारत का जो चित्र दिखाई देगा वह बड़ा ही विचित्र और अद्‌भुत होगा।

भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर आधारित सभी चिकित्सा पद्धतियों से प्राचीन पद्धति है। भारत का इतिहास गवाह है कि भारत में ऐसे चिकित्सक रहे हैं जो केवल नब्ज देखकर ही 7 दिन के भीतर खाए पिए का ब्यौरा बता देते थे। नब्ज देखकर, सीना देखकर, आंख देखकर, नाखून देखकर और गंध सूंघकर टाइफाइड, टी.बी. कैंसर जैसे रोगों का डायग्नोसिस करना आम बात थी जो कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के एमडी की उपाधि धारक **महाचिकित्सक** भी नहीं कर पाते हैं। भारत में चिकित्सा के लिए अनादि काल से ही जड़ी बूटियों का भंडार रहा है। आयुर्वेद में इन्हीं जड़ी बूटियों से उपचार किए जाने की प्रथा रही जो लंबे समय तक भारतीयों को आरोग्य प्रदान करती रही। आयुर्वेद हमारे प्राचीन वेद में निहित सिद्धांतों पर आधारित है जिसके जनक महाराज चरक कहे जाते हैं और सर्जरी के जनक महाराज सुश्रुत कहे जाते हैं। आदर्श चिकित्सा पद्धति और सर्जरी दोनों विधाएं अनादि काल से भारत में विद्यमान थीं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वनस्पति, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। वैज्ञानिकों ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी है कि फूल पौधों को भी लगातार गाली गलौज या अपशब्द बोलते रहो तो वे 6 माह में कुंठित और बेजान हो जाते हैं। यही बात भारतीयों के साथ हुई। लगभग 300 वर्ष तक की यूरोपीय गुलामी और तिरस्कार के कारण भारतीयों की बुद्धि कुंठित होती चली गई। अपनी भाषा, संस्कृति एवं चिकित्सा पद्धति पर भारतीयों को ग्लानि होने लगी तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धति, अंग्रेजी भाषा एवं संस्कृति की ओर मोह पनपता गया और हीन भावना से ग्रसित होने के कारण भारतीय अपनी संस्कृति, भाषा एवं चिकित्सा पद्धति को हीन समझने लगे। यूरोपीय देशों ने भारतीयों की इसी मानसिकता का लाभ उठाकर भारत की कई औषधियों को अपने यहां पेटेंट करा लिया। गुलामी के कारण हम विकास की गति में भी पिछड़ गए।

आयुर्वेद के जनक महाराज चरक द्वारा रचित चरक संहिता के हिसाब से हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है (क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा-पंच तत्व से बना शरीरा) और इन पंचतत्व में विकार होने से वात, पित्त, कफ की समस्या उत्पन्न होती है जो बीमारी का कारण बनती है। इन्हीं त्रिदोषों को ठीक करना आयुर्वेद का सिद्धांत है। विश्व की सभी चिकित्सा पद्धतियां भारतीय चिकित्सा पद्धति के बहुत बाद ही उभर कर आई हैं।

भारतीय चरक संहिता में ग्यारह सौ बीमारियों का वर्णन है और इनके उपचार के लिए हजारों औषधियों का उल्लेख है। प्राचीन भारत में इन्हीं दिव्य औषधियों से उपचार किया जाता था। रामायणकालीन और महाभारतकालीन युद्ध में योद्धाओं के घावों को ठीक करके प्रातः युद्ध के लिए तैयार करना इन दिव्य औषधियों का ही चमत्कार था।

407 ईसी के आसपास ग्रीक के कोस में हिप्पोक्रेटिस का जन्म हुआ। हिप्पोक्रेटिस का परिवार एक समृद्ध परिवार था। उस समय ग्रीक में अंधविश्वास की पराकाष्ठा थी और यह माना जाता था कि बीमारियां भगवान की वजह से होती हैं। हिप्पोक्रेटिस ने लोगों को बताया कि भगवान के कारण बीमार नहीं होते हैं। उनके मतानुसार बीमारियां प्राकृतिक रूप से होती हैं और ह्यूमर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि चार ह्यूमर (द्रव) होते हैं अर्थात **1.यलो बाइल, 2. ब्लैक बाइल, 3.ब्लड और 4.फ्लेग्म अर्थात कफ।** इन्हीं चार ह्यूमर (द्रवों) की विसंगति या न्यूनता या अधिकता से रोग उत्पन्न होते हैं। बढे हुए तत्व को बाहर निकालकर बीमारी को ठीक किया जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी बीमारी होने पर रक्त दूषित हो जाता था। दूषित रक्त को निकालना बेहतर उपचार समझा जाता था। रोगी के शरीर से रक्त चूसने के लिए जौंकें लगा दी जाती थीं। इसी चिकित्सा पद्धति को मॉडर्न, अंग्रेजी, आधुनिक, पश्चिमी चिकित्सा पद्धति, परंपरागत चिकित्सा पद्धति आदि नामों से जाना गया जो अंग्रेजी भाषा एवं पाश्चात्य सभ्यता की तरह पूरे विश्व में आदर्श चिकित्सा पद्धति के रूप में उभरी। इसके व्यापक स्वरूप और मान्यता के होते हुए भी इस पद्धति की कुछ सीमाएं एवं हानियां हैं तो कुछ विशेषता भी है। आधुनिक युग में रक्त निकालने की तरह सब कुछ निकाल बाहर करने की परंपरा इस पद्धति का अभिन्न अंग बन चुकी है।

डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन इसी मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक थे। उनका जन्म जर्मनी में 10 अप्रैल, 1755 को हुआ था। इनके पिता मिट्टी के बर्तन रंगकर अपनी आजीविका का निर्वाह करते थे। बालक निर्धन परिवार में उत्पन्न हुआ था परंतु बड़ा होनहार था। उसने बड़ी लगन से विद्या अध्ययन किया और 24 वर्ष की आयु में ही डाक्टरी में एमडी की उपाधि प्राप्त कर ली। उनकी पकड़ जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, अरबी आदि अनेक भाषाओं में थी और उनके पांडित्य को देखकर डॉक्टर रिक्टर कहा करते थे कि वह बालक दो सिर वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है। शिक्षा समाप्त करने के बाद 10 वर्ष तक हनीमैन प्रचलित पद्धति पर ही चिकित्सा करते रहे, परंतु प्रचलित चिकित्सा पद्धति पर सदैव इनका संदेह बना रहा। डॉक्टर हनीमैन जी ने सन 1810 में इस पद्धति को एलोपैथी नाम से पुकारा और तब से इसे एलोपैथी अर्थात विषम चिकित्सा पद्धति कहा जाने लगा। इस पद्धति पर इनकी निष्ठा नहीं जमी। डॉक्टर हनीमैन देखते थे कि कब्ज दूर करने के लिए दस्तावर दवा दी जाती है, जिससे पेट तो एकदम साफ हो जाता है परंतु उसके बाद पहले से ज्यादा कब्ज हो जाती है। दर्द दूर करने के लिए अफीम दी जाती है, परंतु उससे इलाज नहीं होता, दर्द सिर्फ दब जाता है। इनको रक्त निकालने की पद्धति भी रास नहीं आई। वे सोचते थे कि रक्त तो प्राणदायिनी शक्ति होती है, इसमें तो रोगी निर्बल हो जाता है, इससे वह ठीक कैसे हो सकता है। इसी मानसिक दुविधा में उन्होंने अपनी एलोपैथी की प्रैक्टिस बंद कर दी और रसायन शास्त्र तथा वैज्ञानिक पुस्तकों का अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद करके अपनी आजीविका का उपार्जन शुरू कर दिया। जिस पद्धति पर उनका विश्वास नहीं जमता था, उसे करते हुए वे कब तक अपनी आत्मा को शांति दे सकते थे।

वर्ष 1790 में वे डॉक्टर कलेन की अंग्रेजी मैटेरिया मेडिका का जर्मन भाषा में अनुवाद कर रहे थे। अनुवाद का विषय सिनकोना था। सिनकोना कुनीन का ही एक प्रकार है। सिनकोना के विषय में इस पुस्तक में कुछ परस्पर विरुद्ध बातें लिखी थीं। सिनकोना बुखार लाता भी है और इसे ठीक भी करता है। इन विरोधी बातों को पढ़कर उनके हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। **यह विचार क्या था?** यह विचार यह था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिनकोना रुग्ण व्यक्ति में बुखार को इसीलिए ठीक कर देता है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति में यह बुखार के लक्षण उत्पन्न कर देता है। जैसे न्यूटन ने वृक्ष के सेब को गिरते देखकर सोचना शुरू किया कि यह फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, इधर उधर क्यों नहीं गया। यह सोचते सोचते उन्होंने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आविष्कार कर लिया और जेम्स वाट ने केतली के ढक्कन के गिरने और उठने से भाप के पहले इंजन का आविष्कार किया वैसे ही उक्त एक विचार ने कि **"कहीं ऐसा तो नहीं कि सिनकोना बुखार को इसलिए ठीक कर देता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति में यह बुखार को उत्पन्न कर देता है,"** हनीमैन को विचार

सागर में डुबो दिया और सोचते-सोचते इसी एक विचार ने होम्योपैथी को जन्म दिया।

होम्योपैथी का पहला सिद्धांत-समःसमं शमयति है जिसका अर्थ है समान चीज ही समान चीज को काटती है। इसके विपरीत एलोपैथी का सिद्धांत स्पष्ट है। शरीर में जो रोग हो जाए, उससे विरोधी अवस्था को शरीर में उत्पन्न करके रोग को दूर करना एलोपैथी है। दस्त आते हों तो, दस्तों को बंद करने वाली दवा, और कब्ज हो, तो दस्त लाने वाली दवा देनी चाहिए। इस सिद्धांत को विषमोपचार (Contraria Contraris कहते हैं। यही प्रचलित पद्धति है, और मोटी बुद्धि से यही बात समझ में ठीक लगती है। डॉक्टर हनीमैन जी ने इससे विरुद्ध सिद्धांत का आविष्कार किया। उन्होंने जिस सिद्धांत का पता लगाया वह था समोपचार। संस्कृत में **इसे सम: समं शमयिति** और अंग्रेजी में इसे **Similia Similibus Curantur** कहते हैं।

होम्योपैथी का सिद्धांत यह है कि स्वस्थ शरीर में औषधि रोग के जिन लक्षणों को उत्पन्न करती है, किसी भी रोग में भले ही उसका नाम कुछ भी हो, अगर वे लक्षण पाए जाएं, तो वही औषधि उस रोग को और उन लक्षणों को दूर करेगी। उदाहरण के लिए, स्वस्थ शरीर में संखिया (आर्सेनिक) बेचैनी पैदा करता है, थोड़ी-थोड़ी देर में प्यास पैदा करता है, और इसी तरह के अनेक लक्षण पैदा करता है। होम्योपैथी का सिद्धांत यह है कि अगर रोग में ये लक्षण पाए जाएं, तो इन लक्षणों को आर्सेनिक दूर कर देगा। ऐसे लक्षण हैजा में हो सकते हैं, सिर दर्द, पेट के अल्सर में हो सकते हैं या फिर जुकाम में हो सकते हैं अथवा नींद न आने में, बुखार में अर्थात किसी भी रोग में हो सकते हैं। हनीमैन का कहना है कि **हमें रोग के नाम से कोई मतलब नहीं,** रोग कुछ भी हो, अगर किसी भी प्रकार के रोग में वे लक्षण पाए जाएं जो औषधि ने स्वस्थ व्यक्ति में उत्पन्न किए हैं, तो वह औषधि उन लक्षणों को दूर कर देगी और जब ये लक्षण दूर हो जाएंगे तव रोग अपने आप नहीं रहेगा। संक्षेप में होम्योपैथी का यही सिद्धांत है और यह होम्योपैथी का पहला सिद्धांत है।

होम्योपैथी का दूसरा सिद्धांत शक्तिकरण का सिद्धांत है। शुरू-शुरू में हनीमैन सम- सिद्धांत के अनुसार तो दवा देते थे, परंतु नक्स वॉमिका 4 ग्रेन, सिनकोना 2 ग्रेन आदि के रूप में एलोपैथिक ढंग से ही औषधि की मात्रा देते थे। इससे उन्होंने अनुभव किया कि रोग के अच्छा हो जाने पर भी शुरू में रोग कुछ बढ़ जाता है। इस रोग को दूर करने के लिए उन्होंने औषधि की मात्रा घटानी शुरू की। उन्हें यह अनुभव हुआ कि औषधि की मात्रा घटाने पर उसकी रोग को दूर करने की शक्ति बढ़ जाती है। औषधि की मात्रा स्थूल रूप में कहां तक कम की जा सकती थी। इसके लिए उन्होंने दो माध्यमों का सहारा लिया। एक माध्यम था- दूध की शर्करा (Sugar of milk) और दूसरा था अल्कोहल। औषधि के अंश को कम करने के लिए दूध की शर्करा में जब उसे इकसार करने के लिए उसका मर्दन किया जाता था, या जब औषधि को उसका अंश कम करने के लिए अल्कोहल में डालकर जोर जोर से हिला कर मिलाया जाता था, तब डॉक्टर हनीमैन ने अनुभव किया कि मर्दन और अल्कोहल में डालकर जोर से आलोड़न (Succussion) करने से औषधि की कार्य शक्ति भी बढ़ जाती है। जैसे प्रथम सिद्धांत को क्रिया रूप देने के लिए उन्होंने औषधि परीक्षा अथवा औषधि सिद्धि की पद्धति को जन्म दिया, वैसे ही मर्दन तथा आलोड़न से औषधि की शक्ति बढ़ जाती है-इस द्वितीय सिद्धांत को क्रिया रूप देने के लिए उन्होंने औषधियों की शक्ति बढ़ाने की निम्न पद्धति को जन्म दिया जिसमें औषधि की मात्रा कम होती जाती है किंतु उसकी रोग को दूर करने की शक्ति बढ़ जाती है।

वर्ष 1796 में अस्तित्व में आई आदर्श चिकित्सा पद्धति- होम्योपैथी अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी बड़े पैमाने पर अपनाई जा रही है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि होम्योपैथी में लक्षणों के अनुसार औषधि दी जाती है और संसार का ऐसा कोई रोग नहीं जिसमें लक्षण प्रकट नहीं होते हों। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि होम्योपैथी में उन सभी रोगों का सफल और बिना कोई नुकसान पहुंचाए उपचार संभव है जो मानव जाति को हो सकते हैं और होम्योपैथी में लक्षण ही डायग्नोसिस है। मानव ही नहीं पशु पक्षियों पर भी इसका चमत्कारिक प्रभाव है। अतः कहा जा सकता है कि होम्योपैथी में समस्त प्राणी जात का उपचार करने की शक्ति है और इसमें साइड इफेक्ट न के बराबर हैं। जबकि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में किसी भी रोग का जड़ से कोई उपचार नहीं होता है बल्कि रोगों को दबा दिया जाता है और साथ में अन्य अनेक रोगों का जन्म हो जाता है। यहां प्रश्न उठता है कि यदि एलोपैथी में कोई उपचार नहीं होता है और रोगों को सिर्फ दबा दिया जाता है, तो रोग किस प्रकार ठीक हो जाते हैं। रोग ठीक होते हैं व्यक्ति की अपनी जीवनी शक्ति के कारण। हाल ही में विश्व में आई वैश्विक महामारी का दंश सभी ने झेला है। बड़ी तादाद में मौतें हुई हैं। देश को जान और माल की भारी क्षति की

त्रासदी झेलनी पड़ी है जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में अटूट विश्वास का परिणाम है। यदि लोगों का यही विश्वास होम्योपैथी पर रहा होता, तो जान माल की इतनी क्षति नहीं झेलनी पड़ती। भारतीय जनता को एलोपैथी की खामियों को समझना होगा और आने वाले किसी भी भावी संकट के लिए स्वयं को तैयार करके होम्योपैथिक सिस्टम की शरण में जाना होगा। कोविड-19 की बीमारी अनेक पश्च प्रभाव देकर गई है। किसी को पथरी, किसी को शुगर, किसी को आंख की समस्या, किसी को हड्डियों में दर्द, किसी को किडनी समस्या इस एलोपैथी दवाइयों के ही दुष्परिणाम हैं।

वैसे तो भारत में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है फिर भी होम्योपैथी को भारत सरकार की ओर से समर्थन देने और व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ एलोपैथी के गुण दोषों के बारे में और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में आम जनता में जागरूकता फैलाना परम आवश्यक है। सामाजिक स्तर पर भी लोगों को जानकारी देने का कार्य किया जाना चाहिए। कई ऐसे एक्सीडेंटल केस होते हैं जिनके उपचार के लिए एलोपैथिक दवाई ली जा सकती हैं। लेकिन होम्योपैथी को मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाए जाने की आवश्यकता है। गौण चिकित्सा पद्धति के रूप में एलोपैथिक सिस्टम को अपनाया जा सकता है।

होम्योपैथिक सिस्टम के प्रति लोगों की रुचि कम होने और इस की शरण में नहीं जाने की सबसे बड़ी वजह लोगों की यह धारणा है कि होम्योपैथी धीरे-धीरे कार्य करती है। यह धारणा एलोपैथिक सिस्टम के पक्षधर एवं इसके चिकित्सकों द्वारा अपने व्यवसाय की प्रगति के लिए फैलाई गई मिथ्या धारणा है। जबकि सत्य तो यह है कि होम्योपैथिक औषधियां शक्तिकृत होने के कारण बिजली की गति से काम करती हैं जबकि एलोपैथिक दवाइयां पहले शरीर में जाकर घुलती हैं और फिर पचती हैं, तब जाकर अपना असर दिखाती हैं। मोटी बुद्धि से यह माना जाता है कि होम्योपैथिक औषधियां बिजली की गति से तो असर करती हुई नहीं देखी जाती हैं। यहां सर्वप्रथम होम्योपैथिक औषधियों की प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि यदि रोग रूपी किसी वृक्ष को हटाना हो, तो एलोपैथिक सिस्टम द्वारा तत्काल उस वृक्ष की टहनियों, पत्तियों, तने आदि को काटकर अलग कर दिया जाएगा जिसके प्रभाव शीघ्र ही सामान्य आंखों से देखे जा सकते हैं किंतु वृक्ष की जड़ नहीं उखाड़े जाने के कारण उस वृक्ष के पनपने की सदैव आशंका बनी रहेगी। किंतु होम्योपैथिक पद्धति से इस वृक्ष को हटाने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा ऐसी जमीन तैयार की जाएगी कि उक्त वृक्ष उस जमीन में खड़ा नहीं रह सके और अपने आप उखड़ जाए। इसी का नाम होम्योपैथिक सिस्टम है जो एलोपैथिक सिस्टम से एकदम भिन्न है। एक पद्धति में वृक्ष की जड़ें नहीं हटाई गईं और उसके पनपने की संभावना सदैव बनी रहेगी जबकि होम्योपैथिक सिस्टम से रोग जड़ से उखड़ जाएगा।

दूसरी बड़ी वजह यह है कि एक बार होम्योपैथी की शरण में आने के बाद व्यक्ति अज्ञानता के कारण इस उपचार को बीच में ही छोड़ देता है। बीच में उपचार छोड़ देने की वजह इस पद्धति में रोग के लक्षणों में वृद्धि होना है जिसे रोगी समझता है कि होम्योपैथिक औषधियों से रोग बढ़ गया है। रोग वृद्धि के कारण फायदे की जगह नुकसान समझकर बीच में इसे छोड़ देता है। इस विषय में होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा भी रोगी को रोग वृद्धि के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है इसलिए रोगी जानकारी के अभाव में होम्योपैथिक उपचार को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि जनता को होम्योपैथिक सिस्टम एवं एलोपैथिक सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए साथ ही चिकित्सकों को भी होम्योपैथिक सिस्टम की बारीकियों की जानकारी प्रदान की जाए।

यहां होम्योपैथी की सिफारिश इसलिए की जा रही है क्योंकि समस्त आयुर्वेदिक औषधियों की होम्योपैथिक सिस्टम से ड्रग बनाई जा सकती है और उनको शक्ति के रूप में दिया जा सकता है जबकि आयुर्वेद में भी औषधियों को स्थूल रूप में ही दिया जाता है। इसी गुण के आधार पर होम्योपैथी आयुर्वेद से भी श्रेष्ठ हो सकती है, अन्यथा आयुर्वेद एवं होम्योपैथी दोनों समान पद्धतियां हैं जिनमें से एक में औषधियों की स्थूल मात्रा दी जाती है और दूसरे में औषधियों की शक्तिकृत मात्रा दी जाती है। होम्योपैथिक पद्धति का अविष्कार भले ही जर्मन में हुआ हो, लेकिन यह हमारे भारतीय सिद्धांत-"**विष ही विष को मारता है**" और "**लोहा ही लोहे को काटता है**"-के सर्वथा अनुकूल होने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति ही है। यदि हमें भावी पीढ़ी को बीमारियों के कहर से बचाना है तो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की शरण लेनी होगी।

****

चांदवीर, प्रधान निजी सचिव
न्याय विभाग

मेरी मुनस्यारी खलियाटॉप ट्रैकिंग

अनेक बार हमारे मन में सवाल उठते हैं कि हमारे मन में हर दो तीन माह में घूमने की इच्छा क्यों बलवती हो उठती है क्या इसलिए कि यह हमारी स्वाभाविक वृत्ति है कि हम अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से उब जाते हैं और हमें कुछ नया चाहिए या परिवर्तन चाहिए या कि हमे मां वसुंधरा की अनमोल कृतियां जैसे पहाड़, जंगल, झरने, पक्षी आदि भिन्न भिन्न नजारे हमें अपनी ओर खींचते हैं।

इस संबंध में महापंडित राहुल सांकृत्यायन बता गए हैं कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ व्यक्ति से बढ़कर समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। घुमक्कड़ नहीं होते तो दुनिया के अधिकांश महाद्वीप निर्जन होते और सुस्त मानव जातियां पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। साथ ही उन्होंने घुमक्कड़ों को प्रेरित करते हुए कहा कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है।

बस इन्हीं जज़्बातों से भरे मस्तिष्क के कारण मैं भी कहीं बाहर निकलने के अवसर तलाशता रहता हूं। सरकारी सेवा में घुमक्कड़ी को बहुत सम्मान से नहीं देखा जाता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि मौज-मस्ती से जोड़कर देखना या काम के बोझ से अवकाश लेना आदि।

आखिरकार वर्ष 2023 अप्रैल में मैनें मुनस्यारी जाने का कार्यक्रम बनाया। इस समय तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर प्रारंभ नहीं होता। अत: पहाड़ों पर परिवार के साथ तो समय नहीं मिलता किंतु मेरा पसंदीदा क्षेत्र हिमालय में ट्रैकिंग का अवसर मिल जाता है। ऐसी परिस्थिति में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन द्वारा आयोजित मुनस्यारी खलियाटॉप का आरक्षण मैंने मार्च के महीने में करवा लिया।

ट्रैकिंग का सामान पैक कर निर्धारित तिथि 7 अप्रैल को मैं दिल्ली से काठगोदाम के लिए रेल में बैठ गया। 8 अप्रैल 2023 को मैं प्रात: 6 बजे काठगोदाम पहुंच गया। यह उत्तर पूर्व रेलवे का टर्मिनल स्टेशन है। जो कि पर्वतों के दृश्यों व हरियाली से भरपूर है। काठगोदाम में सभी 26 ट्रैकरों के इकट्ठा होने पर यहां से हमने मुनस्यारी तक की लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा बस से संपन्न की। नेशलन हाईवे संख्या 109 सीधा मार्ग है किंतु इस पर पहले नैनीताल और फिर बाबा कैंची धाम के लिए वाहन अत्यधिक संख्या में आने के कारण 2 से 3 घंटे का जाम रहता है। इसलिए हमारे ड्राइवर द्वारा वैकल्पिक मार्ग रामगढ़ लिया गया। रास्ते में भीमताल झील के साथ-साथ हिमालय की अनेक चोटियों, जंगलों व घाटियों के दर्शन करते हुए रात लगभग 8 बजे हम मुनस्यारी के पांडे लॉच (हमारा बेस कैंप) पहुंचे। हम सभी साथी काफी थक चुके

थे। किंतु कैंप में रूकने के अच्छे कमरे व स्वादिष्ट भोजन से सबको काफी खुशी हुई।

ट्रैकिंग के प्रथम दिन सामान्यत: जलवायु अनुकूलन ट्रैक किया जाता है। जिसमें बेस कैंप से चढ़ाई करते हुए हमें 4 से 5 किलोमीटर मां नंदा देवी मंदिर तक जाना था। जिसमें 1 किलोमीटर सड़क मार्ग के अलावा हमें सघन जंगलों से गुजरना पड़ा। यह यात्रा मजेदार रही। यहां की ऊंचाई लगभग 7500 फीट है। यहां पर स्थानीय लोगों द्वारा मंदिर को और भी सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर के अंदर एक बहुत ही सुंदर बगीचे का निर्माण किया गया है। वहां से वापस लौटते समय कुछ साथी रास्ता भटक गए। ओवर कांफिडेंश के चलते ग्रुप तीन हिस्सों में बट गया था। जिसके चलते सबको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

शाम को डिनर के समय सभी का परिचय हुआ। हमारे ग्रुप में भारत के 11 राज्यों महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी व उत्तराखंड आदि से लोग ट्रैकिंग के लिए पहुंचे थे।

मुझे ग्रुप लीडर तथा दिव्या को पयार्वरण लीडर चुना गया। ग्रुप मीटिंग में ट्रैकिंग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां तथा पहाड़ों की चोटियों के बारे में बताया गया। पहाड़ी घरों से आती टिमटिमाती रोशनी और आसमान से आंख-मिचौली खेलते सितारे किसी स्वप्नलोक का अहसास करवा रहे थे। वहां रात का तापमान 8 डिग्री रहा होगा।

10 अप्रैल ट्रैक के दूसरे दिन हमने मुनस्यारी से मार्तोली थॉच तक की ट्रैकिंग की। यह लगभग 8 किलोमीटर के करीब रही होगी जिसमें ऊपर जाने में हमें काफी परिश्रम करना पड़ा। पूरे रास्ते हमें बुरांस के सुदर पेड़ दिखाई दिए, जिसके साथ ग्रुप के सभी साथियों ने फोटो लिए। हमारे ग्रुप के सभी साथी अनुभवी थे। हम सभी तय समय से 1 घंटा पूर्व ही कैंप में पहुंच गए थे। कैंप लीडर आनन्द भावे जी ने मुस्कराहट के साथ सभी का स्वागत किया। उन्होंने बुरांस के फूल का रस पिलाकर हम सबका स्वागत किया। 4 बजे हमें चाय पकौड़े दिए गए। चूंकि ऊपर काफी ठंड थी इसलिए पकौड़े और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगे। पहाड़ों में दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल जाता है। अचानक ओला वृष्टि शुरू हो गई और जहां पर हमारे टेंट लगे थे वहां पर सफेद चादर बिछ गई। बड़ा ही मनमोहक नजारा था। उसके बाद रात को सभी साथियों ने अंताक्षरी खेली जिसमें बड़ा मजा आया। महाराष्ट्र से आए साथियों ने संगीत प्रस्तुत किया। ग्रुप के वरिष्ठ साथी राजस्थान से आए शर्मा जी, अनिल मित्तल जी एवं संजय दिवेदी जी के मार्गदर्शन में हम वार्तालाप करते रहे। मुझे एहसास हुआ ये केवल 11 राज्यों से आए साथी न होकर भारत की साझा विरासत है, जिसमें हम सबको एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिला। रात्रि भोजन के बाद हम सबने रात को विश्राम किया।

11 अप्रैल को हम मार्तोली थॉच से रूद खान के लिए रवाना हुए। रास्तें में हमें जगह-जगह सुंदर झरने दिखाई दिए। जो बड़े ही आकर्षक नजर आ रहे थे। कैंप लीडर अत्यंत ही मृदुभाषी थी उन्होंने भी सभी को बुरांस का रस पिलाकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने हमें स्वादिष्ट चाय पकौड़े दिए जो ठंड के मौसम में सबको अच्छे लगे। रात को सभी साथियों ने डांस किया। क्योंकि किसी भी कैंप में लाइट की व्यवस्था नहीं थी जो भी लाइट की व्यवस्था कैंप लीडर द्वारा की गई वह रात को 10 बजे बंद कर देते थे। हम सभी साथियों ने अपने पास टार्च रखी थीं। रात को डिनर के बाद हम लोग जल्दी विश्राम के लिए चले गए।

12 अप्रैल को सुबह सभी ने थोड़ा योगाभ्यास किया। उसके बाद हमारा ग्रुप भैंसिया ताल के लिए रवाना हो गया। अचानक भारी स्नोफाल शुरू हो गया। जिससे रास्ता मुश्किल और दुर्गम हो गया था। चढ़ाई के दौरान ज्यादा स्नो गिरने से रास्ता फिसलन भरा हो गया था। अप्रैल के माह में इतनी मात्रा में स्नो का गिरना आश्चर्यचकित करने वाला था। भैंसियाताल पहुंचने पर पहले तो कैंप लीडर हरीश चौहान जी ने कहा कि आप लोग बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच गए हैं अभी हम आपको कैंप में आने की अनुमति नहीं दे सकते। ग्रुप लीडर के तौर पर मैंने उनसे बात की कि हमारे ग्रुप में महिला ट्रैकर भी हैं और बाहर ठंड बहुत ज्यादा है ऐसे में कोई भी साथी बीमार हो सकता है। ऐसे में ग्रुप लीडर के साथ कैंप लीडर की भी जिम्मेदारी है कि ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी हो। उसके बाद हरीश जी ने सबका बुरांस का रस पिलाकर स्वागत किया। 3 फुट से ज्यादा स्नो गिर चुकी थी और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उसके बावजूद हम सभी साथी भैंसिया ताल पहुंचे जो हमारे बेस कैंप से थोड़ी ही दूर था। चारों ओर स्नो से घिरा भैंसिया ताल बहुत ही सुंदर लग रहा था जिससे हम सभी की थकान मिट चुकी थी। हम सभी साथियों ने वहां पर काफी फोटोग्राफी की और वीडियो भी बनाईं । रात को भोजन के बाद हम सभी साथी विश्राम के लिए चले गए।

13 अप्रैल को हम सभी साथी 5 बजे उठ गए थे क्योंकि हमें सूर्य को उदय होते देखना था। 6 बजे के करीब सूर्य उदय हुआ जो पहाड़ों में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। नाश्ते के बाद हम सभी साथी खलियाटॉप के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बहुत ज्यादा स्नो थी और हमें पहाड़ों पर किनारे पर चलना था रास्ता फिसलन भरा था। कई जगह रास्ता बेहद डरावना था जरा सी चूक से हम नीचे गहरी खाई में पहुंच सकते थे। रास्ता देखने में बेहत सुंदर था। धीरे-धीरे हम लोग खलियाटॉप पंहुच गए जो 12 हजार फुट से ज्यादा की उंचाई पर है। वहां सभी साथियों ने खूब मौज-मस्ती की। उसके बाद हम सभी अपने बेस कैंप पहुंच गए। रात को सभी साथियों ने कुछ खरीदारी की। भोजन के बाद सभी साथी विश्राम को चले गए।

14 अप्रैल को हम लोग बेस कैंप से काठगोदाम के लिए रवाना हो गए। वहां से सभी साथी जैसी जिसने व्यवस्था की हुई थी उसके अनुसार अपने घरों को रवाना हो गए। मैं भी काठगोदाम से बस पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मैं रात को 2 बजे घर पहुंचा उसके बावजूद मेरा परिवार बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे लिए मुनस्यारी खलियाटॉप ट्रैक यादगार रहा। उसके बाद मैंने कई ट्रैक किए, उन सभी ट्रैक की बेहद सुंदर यादें मेरे मन में बसी हैं। जब भी मुझे ट्रैकिंग के लिए समय मिलेगा मैं मां वसुंधरा की अनमोल कृतियां जैसे पहाड़, जंगल, झरने, पक्षी आदि देखने अवश्य जाऊंगा।

मैं उस सफर का हिस्सा हमेशा बनना चाहूंगा
जहां मंजिलों से ज्यादा सुंदर रास्ते हों।

****

विकाश कुमार
अवर सचिव (न्याय-I)

काश एक पेड़ हिंदी का होता

काश एक पेड़ हिंदी का होता
जगह-जगह हम उसे लगाते
पूरे विश्व में छा जाते
उसकी छांव में बैठते
भाषा ज्ञान हम उससे पाते।

काश एक पेड़ हिंदी का होता
वर्णमाला सा जो दिखता
हरा नहीं होता वो फिर भी
शब्दों के फल देता हमको
उसे बांट आते हम सबको।

काश एक पेड़ हिंदी का होता
कहीं नहीं रहता अलगाव
भेष-भूषा से परे होते
एक जैसा होता स्वभाव।

काश एक पेड़ हिंदी का होता
क्षेत्र नहीं बंटते वर्णों में
हिंदी गूंज रही होती कर्णों मे
भाषाओं का संसार न होता
जिह्वा पर अत्याचार न होता।

काश एक पेड़ हिंदी का होता
अभिव्यक्ति की देता आजादी
विचारों का होता सम्मान
उसकी इस शीतल छाया में
हम सब बनते भाषा विद्वान।

काश एक पेड़ हिंदी का होता
घना होता हमारा जुड़ाव
न बुनना पड़ता इतना ताना-बाना
न करना पड़ता इतना प्रचार-प्रसार
न लिखनी पड़ती यह कविता
आसान हो जाता हर काम।
काश एक पेड़ हिंदी का होता।

****

गौरव कुमार त्रिपाठी
अवर सचिव, न्याय विभाग

व्यावहारिक अर्थशास्त्र

कहावत है कि पैसा खुदा तो नहीं है. लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। पैसा यानी कि धन, संपत्ति या अर्थ और धन से जुड़ा हुआ शास्त्र यानी अर्थशात्र। इसी का एक छोटा सा हिस्सा है व्यावहारिक अर्थशास्त्र। व्यावहारिक अर्थशास्त्र हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी का एक दिलचस्प पहलू है।

पैसों के मामले में लोग सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि कभी-कभी दिल से भी फैसले लेते हैं और ऐसे में इंसानी जज्बात दिमाग पर हावी हो जाते हैं। पैसों के साथ इंसान का रिश्ता उलझा हुआ और सांसारिक बंधन से जुड़ा हुआ है। लालच, भविष्य का डर और खर्च करने से पैदा होने वाला अपराध बोध ऐसे जज्बात हैं जो इस उलझन को और बढ़ाते हैं। व्यावहारिक अर्थशास के जरिए हम पैसों से जुड़ी उलझनों को समझने की कोशिश करते हैं:-

(1) भुगतान का दर्द :- विद्वान मानते हैं कि पैसे को जब हम अपनी जेब से जुदा करते हैं, तो हमें तकलीफ होती है। यह तकलीफ तब और बढ़ जाती है, जब हम नोटों की शक्ल में भुगतान करते हैं। क्रेडिट कार्ड या उधार माल खरीदते समय यह तकलीफ कम होती है। यही कारण है कि किस्तों में उधार सामान खरीदते समय या क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च करते समय लोग कई बार गैर-जरूरी चीजें खरीद लेते हैं। मतलब कि खरीददारी और भुगतान का समय अलग कर दिया जाए तो यह तकलीफ कम हो जाती है। इंसानी स्वभाव की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कई कम्पनियां 'अभी खरीदो, बाद में चुकाओ' का लालच देती हैं। इसलिए यदि आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग न्यूनतम करें और जिस वक्त जो सामान खरीदा जाए, उसी समय उसका भुगतान कर दिया जाए।

(2) खर्च से जुड़ा अपराध बोध : पैसा खर्च करना अपराध बोध लाता है। कई लोग सक्षम होते हुए भी पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका दिमाग खर्च को लेकर ज्यादा अपराध बोध महसूस करता है। मान लीजिए किसी महिला को एक साड़ी पसन्द आती है, पर उसे लगता है कि दुकानदार उसकी कीमत ज्यादा बता रहा है तो वह साड़ी नहीं खरीदती है। उसका पति यह देखकर अगले दिन वही साड़ी खरीद लाता है। सिर्फ आर्थिक पहलू से समझे तो उसकी पत्नी को नाराज होना चाहिए, लेकिन वह खुश है क्योंकि अपनी जेब से खर्च न होने और किसी दूसरे के द्वारा खरीदे जाने की वजह से खर्च से जुड़ा अपराधबोध (भुगतान का दर्द) नहीं महसूस होता है। इसलिए आर्थिक कीमत समान होते हुए भी मनोवैज्ञानिक कीमत बदल जाती है। इसी अपराधबोध से निपटने के लिए कई कम्पनियां अपने विज्ञापन में उल्लेख करती हैं कि वे आपकी खरीद से मिले पैसे का एक हिस्सा किसी अच्छे काम जैसे बच्चों की शिक्षा आदि में लगाएंगे। कम्पनियों का मकसद समाज सेवा करना नहीं,

बस आपको अपराधबोध से मुक्त करके आपकी जेब ढीली करना है।

(3) व्यावहारिक सुझाव का सिद्धान्तः- इस सिद्धान्त के अनुसार लोगों के फैसलों को सिर्फ कानून या सजा का डर दिखाकर ही नहीं बल्कि सुझाव या प्रोत्साहन के जरिए भी बदला जा सकता है। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड से पैसा चुकाते वक्त हर बार मोबाइल पर एक संदेश आए कि क्या आप सचमुच में खर्च करना चाहते हैं; तो आप कुछ खरीददारी स्थगित कर देंगे। यह और बात है कि क्रेडिट कम्पनियां कभी ऐसा नहीं चाहेंगी, बल्कि वे चाहेंगी कि आप बेवजह खर्च करें, डिफाल्ट करें ताकि आप पर पेनल्टी लगाकर वे अपना लाभ कमाएं। इस सिद्धान्त के मुताबिक यदि किसी फार्म को भरते वक्त आप लोगों से 'हां' करवाना चाहते हैं तो उनसे पूछने के बजाय पहले आप उनकी हां' को मान लीजिए (डिफाल्ट चुनाव) और फिर पूछिए कि यदि आप इस योजना में शामिल 'नहीं होना चाहते हैं तो बॉक्स में निशान लगाएं। इंसानी स्वभाव है कि वह कुछ नहीं करना चाहता, इस प्रकार अधिक लोग हां' कर बैठेंगे। यह लोगों की मानवीय कमजोरी का फायदा उठाकर उनके चुनने के अधिकार का हनन करने जैसा है।

(4) व्यावहारिक अर्थशास्त्र का प्रभावः- इस सिद्धान्त के जरिए यह एहसास होता है कि लोग किसी भी चीज की कीमत सिर्फ इसलिए ज्यादा आंकते हैं क्योंकि यह उनकी है। अगर लोगों को एक कॉफी मग दिया जाए और कहा जाए कि क्या आप इसे चॉकलेट से बदलना पसंद करेंगे तो अधिकतर का जवाब नकारात्मक होगा क्योंकि उनके अनुसार कॉफी मग ज्यादा कीमती होगा। यही वजह है कि लोग अपना पुराना और बेकार सामान बेच नहीं पाते और घरों में बेकार सामान (कबाड़) एकत्र हो जाता है।

(5) नुकसान का अर्थशास्त्र :- लोग फायदे की बजाय नुकसान को लेकर अधिक चिंतित होते हैं। सौ रुपये कमाने में जितनी खुशी होती है, उससे दोगुना दुख सौ रुपये गंवाने में होता है। सीख यह है कि व्यापार में लोगों को भरोसा दिलाइए कि आपके साथ डील (अनुबंध) करके वे फायदे में रहेंगे। इसी प्रकार, इंसान पैसों का बंटवारा इस तरह करना चाहते हैं कि उन्हें अधिक मिले और उन पर लालची का ठप्पा भी ना आए।

(6) पैसे की मनोवैज्ञानिक कीमतः- इंसान के लिए पैसे की कीमत अलग-अलग होती है, उदाहरण के लिए, वेतन में मिले पैसे किफायत से खर्च किए जाते हैं, वहीं बोनस में मिले पैसों के मामले में फिजूलखर्ची चल जाती है। इसी प्रकार बहुत बार किसी बड़े काम के लिए रखी गयी पूंजी में से एक बार यदि छोटी सी रकम निकाल ली जाए तो यह सिलसिला चल निकलता है और देखते ही देखते वास्तविक काम के लिए पैसा नहीं बचता है, यहां भी व्यक्ति सोचता रहता है कि वो पूंजी को पूरा कर लेगा और बाद में पछताता रह जाता है।

व्यावहारिक अर्थशास्त्र के उपरोक्त उदाहरण मैंने अपने जीवन में कभी न कभी अनुभव किए हैं और यकीनन आप सभी ने भी अवश्य किए होंगे। इन अनुभवों को लेखनी में पिरोने का यह एक छोटा सा प्रयास मात्र है और एक आखिरी बात कि बाज़ार के प्रलोभन से बचें एवं याद रखें कि धन संचय ही सुरक्षित भविष्य का आधार है।

****

राजेश सागर
अनुभाग अधिकारी
न्याय विभाग

पिता की भूमिका

जब धर्मराज युधिष्ठिर से यमराज द्वारा यह पूछा गया कि आकाश से भी बड़ा क्या है, तो उनका जवाब था कि आकाश से भी बड़ा पिता होता है। वस्तुतः पिता का जीवन में स्थान एक मजबूत आधार शिला के समान होता है। पिता परिवार के लिए न केवल एक रक्षक और पोषक होते हैं, बल्कि जीवन में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देने वाले मार्गदर्शक भी होते हैं। पिता अपने बच्चों के लिए त्याग और समर्पण का प्रतीक होते हैं, जिनका हर कदम उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए होता है।

पिता का प्रेम अक्सर बिना शब्दों के व्यक्त होता है। उनका स्नेह और देखभाल बाहरी रूप से सख्त लग सकता है, लेकिन उसके पीछे गहरी ममता और चिंतन छिपा होता है। वे अपने बच्चों को आत्मनिर्भर, अनुशासित और मजबूत बनाने की शिक्षा देते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और हर परिस्थिति में डटे रहने की प्रेरणा पिता से ही मिलती है।

पिता अपने अनुभवों और संघर्षों के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं कि सफलता का मार्ग केवल मेहनत और ईमानदारी से गुजरता है। वे बच्चों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि असफलता केवल एक कदम है, जो हमें अधिक मेहनत करने और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है।

पिता की भूमिका केवल आर्थिक रूप से परिवार का सहारा बनना नहीं है, बल्कि वे अपने बच्चों के लिए मानसिक और भावनात्मक सहारा भी होते हैं। वे अपने बच्चों के साथ समय बिताकर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान देने की कोशिश करते हैं। पिता अपने बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं, जो जीवन के बुनियादी मूल्यों जैसे ईमानदारी, आदर, धैर्य और कर्तव्य को सिखाते हैं।

आज के समय में पिता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, जब समाज और जीवनशैली तेजी से बदल रहे हैं। एक अच्छे पिता होने का मतलब केवल कर्तव्यों को निभाना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां वे खुलकर अपने विचार और भावनाएं व्यक्त कर सकें।

पिता का प्रेम अनमोल होता है, जो समय के साथ और अधिक गहराई और मजबूती प्राप्त करता है। उनका हर प्रयास बच्चों के लिए होता है, चाहे वह शिक्षा हो, कैरियर हो, या जीवन के बड़े फैसले। पिता का साया बच्चों के लिए सुरक्षा और आत्मविश्वास का स्रोत होता है। पिता के योगदान और त्याग को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है, लेकिन उनके प्रति आदर और प्रेम हमेशा हमारे दिल में होना चाहिए।

****

विवेक कुमार
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
(संकलनकर्ता)

राजभाषा नीति संबंधी महत्वपूर्ण आदेश

"क" क्षेत्र में चैक/ड्राफ्ट हिंदी में तैयार किया जाना

"क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी चैक यथासंभव हिंदी में तैयार किए जाएं। "क" क्षेत्र में स्थित सरकारी बैंकों द्वारा "क" क्षेत्र के लिए तैयार किए गए चैक और ड्राफ्ट यथासंभव हिंदी में जारी किए जाएं।

लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना

दिल्ली में स्थानीय कार्यालयों और व्यक्तियों तथा अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में लिखे जाएं।

सरकारी समारोहों के लिए निमंत्रण पत्र

सभी सरकारी समारोहों के निमंत्रण-पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं। कार्ड के एक ओर अंग्रेजी होनी चाहिए और दूसरी ओर हिंदी। आवश्यकता के अनुसार इनमें हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं का भी उपयोग किया जा सकता है।

फाइल कवरों पर विषय - हिंदी में

मंत्रालय/विभागों और हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित उनके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों में निम्नलिखित प्रकार की सभी फाइलों के फाइल कवरों पर विषय हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाएंः -

1. जिन फाइलों में टिप्पण तथा पत्र हिंदी में हैं,
2. उन अनुभागों की फाइलों पर जिनमें 80% या ज्यादा कर्मचारी हिंदी जानते हैं।
3. हिंदी जानने वाले या हिंदी में प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा निपटाई जाने वाली फाइलें।

स्टॉफ कार की प्लेटों पर नाम

मंत्रालयों/विभागों और हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में स्टॉफ कारों की प्लेटों पर कार्यालयों के नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखवाए जाएं। हिंदी में नाम ऊपर हों और अंग्रेजी में उसके नीचे।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/समारोहों में राजभाषा हिंदी को उचित स्थान

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/समारोहों में देश की राजभाषा हिंदी को उचित स्थान दिया जाए और इस संबंध में छपने वाले साहित्य,परिपत्रों, बैनरों, बैजों आदि में हिंदी का प्रयोग किया जाए। सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय महोत्सवों, समारोह आदि में बैनर, नामपट्ट, सूचना पट्ट, साहित्य, प्रपत्र, बैज आदि में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए।

कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं/रजिस्टरों में प्रविष्टियां

"क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं। "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथासंभव हिंदी में की जाएं।

अधिसूचित कार्यालयों को हिंदी का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट करना

"क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में जो राजभाषा नियम 10 (4) के अंतर्गत

अधिसूचित किए गए हैं, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मचारी 01-04-1988 से निम्नलिखित पत्र आदि का प्ररूप केवल हिंदी में प्रस्तुत करेंः-

1. "क" तथा "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और इन क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि और गैर सरकारी व्यक्तियों को जाने वाले सभी पत्रादि।
2. हिंदी में प्राप्त सभी पत्र आदि के उत्तर।
3. किसी कर्मचारी द्वारा हिंदी में दिए गए या हस्ताक्षर किए गए आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर।

"क" क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई हिंदी में करना

"क" क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाई हिंदी में की जाए। अपवाद स्वरूप यदि जांच अधिकारी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान न हो या यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी मांग करे तो यह कार्रवाई अंग्रेजी में की जा सकती है।

हिंदी में प्राप्त पत्रों को नेमी नोट पर हिंदी अधिकारी/हिंदी अनुभाग को न भेजना

बहुत से अधिकारियों/कार्यालय द्वारा हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों को बिना उनके विषय आदि देखे सीधे हिंदी अधिकारी हिंदी अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। सामान्यतः पहले ऐसे पत्रों को उनके विषय से संबंधित अधिकारी को भेजा जाना चाहिए, बाद में यदि उनके अंग्रेजी या हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता हो तो हिंदी अधिकारी की सहायता ली जा सकती है। यह भी देखा गया है कि कई कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त प्रत्येक पत्र को उसके अंग्रेजी अनुवाद के लिए हिंदी अधिकारी को भेज दिया जाता है। नियमानुसार, हिंदी में प्राप्त ऐसे पत्रों को ही अनुवाद के लिए भेजा जाना चाहिए जो तकनीकी या विधिक प्रकृति के हों। प्रयास यह किया जाना चाहिए कि साधारणतया हिंदी पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद न मांगा जाए और उनके उत्तर भी सीधे हिंदी में ही तैयार किए जाएं और भेजे जाएं। पत्रों का हिंदी अनुवाद उसी स्थिति में मांगा जाना उचित समझा जा सकता है जबकि उन पर आवश्यक कार्रवाई करने वालों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान भी न हो।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि के लिए यह अनिवार्य है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी कागजात दविभाषी रूप में अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें। परंतु इस विधान की ओर बार-बार ध्यान दिलाए जाने पर भी संबंधित आदेश अधिसूचनाएं कई मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि केवल अंग्रेजी में ही जारी कर रहे हैं। अधिनियम के अनुपालन की यह त्रुटि गंभीर बात है। अतः निदेश दिए जाते हैं कि सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि सभी संकल्प, नियम, अधिनियम, अधिसूचनाएं, करार, संविदाएं, लाइसेंस, परमिट, कार्यालय ज्ञापन आदि की अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी प्रति अवश्य तैयार कर जारी करवाएं।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का हिंदी अनुभाग उस मंत्रालय/विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) में उल्लिखित सभी कागजातों की एक-एक प्रति अपने यहां उपलब्ध रखे और यह सुनिश्चित करे कि इन कागजातों को द्विभाषी जारी किया गया है।

सभी मंत्रालयों/विभागों की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां के अध्यक्षों (संयुक्त सचिवों) से यह अनुरोध है कि वह अपने मंत्रालय विभाग के सभी अनुभागों/डेस्कों आदि में धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं और उन्हें यह निर्देश दें कि धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए गए सभी कागजातों की एक-एक प्रति मंत्रालय/विभाग के हिंदी अधिकारी को अनिवार्य रूप से भिजवाएं।

हिंदी में मूल रूप से काम करना

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित किए गए कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी अनिवार्यतः और हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी यथासंभव राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत द्विभाषी रूप से जारी किए जाने वाले दस्तावेजों और राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत केवल हिंदी में जारी किए जाने वाले पत्रों का प्रारूपण मूल रूप से हिंदी में करें और आवश्यकता अनुसार उनका अनुवाद अंग्रेजी में कराया जाए साथ ही हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त विषयों से संबंधित टिप्पण भी वे मूल रूप में हिंदी में करेंगे। **सामान्य आदेश की परिभाषा**

स्थायी प्रकार के सभी आदेश, निर्णय, अनुदेश परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों तथा ऐसे सभी आदेश, अनुदेश,पत्र, ज्ञापन,नोटिस,परिपत्र आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में या उनके लिए हों, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अधीन सामान्य आदेश कहलाते हैं।

****

विजेन्द्र कुमार छिकारा
अनुभाग अधिकारी

सच्चा श्राद्ध

मां-पिता जी की 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ का समारोह था
किन्तु ज्येष्ठ पुत्र के मन में भयंकर उहापोह था
कार्यक्रम के अंत में सब युगल के लिए दो शब्द बोल रहे थे
अपने भावों को सीमित शब्दों में तौल रहे थे
अब बड़े पुत्र की बारी थी
सबको उम्मीदें, उस से बड़ी भारी थीं
ज्येष्ठ ने कहना शुरू किया
भावों में बहना शुरू किया
क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं
खुद को परखना चाहता हूं,
एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं
क्यों न मां बाबू जी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए
क्यों न हर महीने अभी से उन्हें एक नई पोशाक में सजाया जाए
और प्रतिदिन उनकी आरती उतारकर उन्हें हर घर का जीता जागता भगवान बनाया जाए।
क्यों न मां-बाबू जी का जीते जी श्राद्ध मनाया जाए ?
हफ्ते में कम से कम एक बार उन्हें स्वादिष्ट, लजीज, मनपसंद भोजन कराया जाए।
कम नमक या ज्यादा मीठा उसकी चिंता किए बिना उन्हें वो खिलाया जाए
जिस से उनकी आत्मा तृप्त हो जाए।
उनके उपरांत विभिन्न पशु-पक्षियों में उन्हें ढूंढने की बजाय
जीते जी उन्हें खास महसूस कराया जाए।
घर के बच्चों को उनके रहते उनका आदर करना सिखाया जाए।
बड़ा पुत्र जारी रहा......
उनके उपरांत न जाने किस-किस के माध्यम से भेजने की बजाय
माहौल में अचानक चुप्पी छा गई किसी को कुछ समझ नहीं आया
तभी पिता जी उठे और उन्होंने पुत्र को कस के गले लगाया
बोले, बेटा सही कहा तुमने जीते जी सम्मान न मिले तो मरने के बाद कौन देखने आएगा
जीते जी जिसे दो रोटी नसीब नहीं, मरने के बाद क्या हलवा पूरी खाएगा ?
जीते जी जो मां बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आएगा
वो भला श्राद्ध करके कैसे पुण्य कमाएगा ?

****

आकाश कुमार जायसवाल
अनुभाग अधिकारी (समन्वय)

तेरे जाने से हुई मेरी दुनिया अधूरी

(यह कविता मेरी स्वर्गवासी मां को समर्पित है।)

मां तेरे बिना जिंदगी है सूनी,
तेरे जाने से हुई मेरी दुनिया अधूरी।
तेरे लाड़ के लिए आज भी मैं रोता हूं,
तुझे याद किए बिना न मैं सोता हूं,
तेरे प्यार की याद में आती मेरी आंखों में नमी।
तेरे आशीर्वाद के बिना है मेरे जीवन में कमी
मां तू मेरे लिए थी मेरे जीवन की धुरी,
तेरे जाने से हुई मेरी दुनिया अधूरी।
जब तेरी सोच में, मैं दिन बिताता हूं,
अपने बचपन की बिखरी यादों को सजाता हूं।
तेरे जाने से दिल का एक कोना है उजड़ा,
न जाने किसे सुनाऊं अपना दुखड़ा।
तू होती तो समझती मेरी बातें,
न बोझल होती मेरी दिन और रातें।
मेरी आंखों में आंसू हो गई है भूरी,
तेरे जाने से हुई मेरी दुनिया अधूरी।
तेरे पैरों की धूल से होते थे चारों धाम,
जिससे बनते थे मेरे सारे बिगड़े काम।
आज तेरी रहमत के बिना हुई मेरी बांहें कोरी,
तेरे जाने से हुई मेरी दुनिया अधूरी।
तेरे होने से खिलती थी आंगन में ममता की कलियां,
तेरे होने से अपनी लगती थीं घर से जुड़ी गलियां।
तेरे न होने से कम सी लगती हैं, त्योहार की हर खुशियां जरूरी,
तेरे जाने से हुई मेरी दुनिया अधूरी।
मोतियों सा परिवार बंधा तेरे प्यार की डोर में,
खुशियों की हर लहर ले जाती तेरी यादों की ओर में।
तेरी ममता के आंचल को मैं शब्दों में कैसे बताऊं,
तूने जो कुर्बानियां दीं उसका कर्ज मैं कैसे चुकाऊं।
सुख, शांति और समृद्धि से बुना तूने परिवार का ताना-बाना,
लक्ष्मी और सरस्वती का संयुक्त रूप तुझमें है हमने जाना।
तू नजर उतारकर करती थी बलाएं दूर,
तेरी शिक्षाओं से होते समस्याओं के पहाड़ चकनाचूर।
मां तेरा नाम लिखे बिना न होगी मेरी जीवनी पूरी,
तेरे जाने से हुई मेरी दुनिया अधूरी, तेरे जाने से हुई मेरी दुनिया अधूरी।

भारत में हिंदी का विकास

हिंदी हमारी मातृ भाषा है,
विकास की कहानी यह खुशियों से भरी है
भारत में जन्मी, यह विश्व में फैली,
हर दिल में बसी, हर जुबान में खिली।
आजादी के बाद, नए युग की ओर,
हिंदी ने ली चाल, विकास की ओर।
शिक्षा, साहित्य,संगीत, कला,
हिंदी में ही सभी विकास की धारा।
विज्ञान,प्रद्योगिकी और तकनीक,
हिंदी में ही सभी विकास की सीख।
इंटरनेट पर, हिंदी की धूम मची
डिजिटल इंडिया में हिंदी की ब्लूम मची।
हिंदी का विकास, भारत का गौरव है,
एकता और समृद्धि की दिशा में बढ़ाव है।
चलो मिलकर, हिंदी को और बढ़ाएं,
भारत की शक्ति, विश्व में दिखाएं।
आओ हिंदी की ओर बढ़ें,
विकास की ओर नई दिशा में कदम बढ़ाएं।
****

अनिल कुमार
परामर्शदाता (समन्वय)

मेरी कश्मीरी यात्रा

वर्ष 2006 में, मैंने {पत्नी सरिता, बेटा शरण (4 वर्ष)} और मेरे दोस्त आजाद {उसकी पत्नी निशा, बेटी हर्षा (2 वर्ष)} ने ऑफिस से एल टी सी लेकर कश्मीर घूमने का प्रोग्राम बनाया। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम रात

9 बजे जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचने के बाद हमें पता चला कि एक दिन ट्रैफिक जम्मू से श्रीनगर के लिए चलता है और एक दिन श्रीनगर से जम्मू के लिए चलता है। उस दिन जम्मू से श्रीनगर जाने का दिन था। अतः हमने श्रीनगर जाने वाली आखिरी बस ली, जो वहां खड़ी थी और चलने के लिए तैयार थी। रात करीब साढ़े बारह बजे बस यात्रियों के भोजन के लिए रुकी जहां पर बहुत से होटल थे। हम सब भी खाना खाने के लिए अपना हैंड पर्स लेकर (जिसमें मोबाइल फोन, सारा पैसा और नया डिजिटल कैमरा था) होटल में गए। हमने अपना हाथ पर्स कुर्सी की साइड में टांग दिया और खाना खाने लगे, मैं खाना खाने के बाद, सिर में दर्द होने के कारण बस में आकर सो गया और सरिता से कहा कि तुम सब भी खाना खा कर आजाना। बस कब श्रीनगर के लिए चल दी मुझे पता ही नहीं चला करीब आधे घंटे के बाद एक दम से मुझे हैंड पर्स का ख्याल आया और मैंने सरिता से पूछा। उसने कहा कि मैंने सोचा कि तुम ले आये होंगे, मैंने कहा कि पर्स तो वहीं कुर्सी पर टांगा था। लेकिन सरिता ढाबे से निकलते वक्त पर्स वहीं पर भूल आई थी। हमने पर्स के बारे में आज़ाद को बताया उसने कहा कि ड्राइवर को पर्स के बारे में बताते हैं।

हमने बस ड्राइवर को सारी घटना के बारे में बताया, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि बस 20-25 किलोमीटर आगे आ गई है और उसने बस वापस लेने से मना कर दिया और कहा कि आगे किसी मिलिट्री चौकी पर आपको उतार देंगे वहां से कोई सवारी लेकर होटल पर चले जाना। ड्राइवर ने पूछा कि किस होटल पर खाना खाया था। हमने कहा कि हमने शहंशाह होटल पर खाना खाया था। हमने फैसला किया कि मैं अकेला ही पर्स लेने जाऊंगा। आज़ाद और सरिता से कहा कि तुम श्रीनगर चले जाना।

मैंने आज़ाद से कहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं उसने कहा कि हां मेरे पास पैसे हैं और मैं, हाउस बोट वाले को दे दूंगा। श्रीनगर में हाउस बोट जो पहले से बुक थी, उसका फ़ोन नंबर और पता आज़ाद और सरिता को दे दिया। मैंने कहा कि अगर पर्स नहीं मिला तो भी मैं श्रीनगर आ जाऊंगा। बस के कुछ आगे जाने के बाद एक मिलिट्री चौकी मिली और हमने सारा किस्सा मिलिट्री वालों को बताया। मिलिट्री वाले मदद करने को तैयार हो गए। मैंने कुछ पैसे आज़ाद से लिए और बस से उतर गया।

करीब एक घंटा इन्तजार करने के बाद एक ट्रक आता हुआ दिखा मिलिट्री वालों ने ट्रक को रोका और सारी घटना के बारे में बताया और कहा कि इसको शहंशाह होटल पर छोड़ देना और तब तक इसके साथ रहना जब तक इसका पर्स नहीं मिल जाता। मिलिट्री वालों ने कहा कि हमने तेरे ट्रक का नंबर नोट कर लिया है अगर इस लड़के को कुछ हो गया तो तेरी खेर नहीं। मिलिट्री वालों ने कहा कि किसी पुलिस वालों से मदद मत मांगना नहीं तो वो बेकार में परेशान करेंगे अगर पर्स नहीं मिला तो भी अपने बच्चों के पास श्रीनगर चले जाना।

ट्रक वाले ने मुझे अपने ट्रक में बिठाया और होटल की तरफ रवाना हुआ। सारे रास्ते में, मैं भगवान् से प्रार्थना करता रहा कि पर्स मिल जाए। करीब 2 घंटे के बाद ट्रक रुका जहां बहुत सारे होटल थे ट्रक वाले ने कहा कि यहीं पर शहंशाह होटल है। मैंने होटल को पहचान लिया और देखा कि होटल का शटर नीचे से कुछ खुला हुआ है मैंने नीचे से झांककर देखा कि पर्स वहीं कुर्सी पर टंगा है शायद किसी होटल कर्मकारी की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। मैंने शटर थोड़ा सा ऊपर किया और पर्स चेक किया और पाया कि सारा समान है, मैं पर्स लेकर बाहर आ गया और शटर को पहले जैसा बंद कर दिया।

तब तक ड्राइवर और उसका हेल्पर मेरे पास आ गए उन्होंने कहा कि रात को कहां जाओगे ट्रक में ही हमारे साथ सो जाओ अतः हम तीनों ट्रक में ही सो गए। सुबह उठने में 8 बज गए। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि अपना सामान चेक कर लो मैंने देखा कि सब कुछ ठीक है। फिर सुबह हम तीनों ने चाय ली। मैंने कुछ रुपए ट्रक ड्राइवर को देने चाहे लेकिन उसने लेने से मना कर दिया।

उसने कहा कि आज श्रीनगर से जम्मू के लिए ट्रैफिक चलेगा इसलिए कोई बस नहीं मिलेगी लेकिन आप लोकल सवारी कर के चार बार में श्रीनगर जा सकते हो, यहां से पहले समरोली, समरोली से रामबन, रामबन से बनिहाल, बनिहाल से लाल चौक (श्रीनगर)।

ट्रक वाले ने कहा कि अपने कुशल मंगल की सुचना अपने बीवी बच्चों को दे दो लेकिन देखा कि टेलीफोन बूथ की दुकान अभी बंद है, ट्रक ड्राइवर ने कहा कि हमें ट्रक (सेबों का) लेकर दिल्ली जाना है अब हम चलते हैं ।

अत्यधिक ठंड और कोहरा पड़ने के कारण करीब 10 बजे टेलीफोन बूथ की दुकान खुली। मैंने मकबूल भाई (हाउस बोट का मालिक) को फ़ोन किया और सरिता से बात कराने को कहा, पहले उसने मेरा कुशलक्षेम पूछा और सरिता से बात करायी।

मैंने सरिता को अपने सकुशल होने और पर्स मिलने की जानकारी दी, सरिता ने कहा कि जल्दी से आजाओ, इस प्रकार मैं ड्राइवर के बताए हुए मार्ग द्वारा 4 बार में करीब 5-6 बजे शाम को लाल चौक श्रीनगर पहुंचा। लाल चौक पहुंचने पर मैं मकबूल भाई को फ़ोन कर डल लेक से नाव डल गेट पर लाने को कहा । फिर मैंने डल गेट के लिए सवारी की और देखा कि वहां पर हल्की बारिश हो रही है। नाव वाले के साथ आज़ाद मुझे लेने के लिए आया हुआ था। उसने कहा कि हम सब रोते हुए यहाँ पर सुबह 5 बजे आये हैं। हमने सोचा कि अगर अनिल को कुछ हो गया तो हमें अकेले ही दिल्ली जाना पड़ेगा। तेरी सलामती और पर्स मिलने की खबर मिलने पर हमारी जान में जान आई। हमने अब तक ठीक से खाना भी नहीं खाया है।

हाउसबोट पर मकबूल भाई और सरिता जो मेरा इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भगवान का बहुत-बहुत शुक्रिया कि तुम ठीक हो । अगले दिन हमने गुलमर्ग घूमने का प्रोग्राम बनाया, और गुलमर्ग जाने के लिए टैक्सी बुक की। गुलमर्ग में अत्याधिक बर्फ पड़ने के करण और टैक्सी वाले के पास गाड़ी के पहियों में लोहे की जंजीर नहीं होने के करण हमारी टैक्सी गुलमर्ग तक नहीं पहुंच सकी और आधे रास्ते में ही हमें बर्फ का आनंद लेना पड़ा। अगले दिन हम डल झील, चरार-ए-शरीफ़, लाल चौक घूमे और फिर वापसी के लिए बस ली। आधे रास्ते में बस का टायर पंचर हो गया और बस वाले ने समस्त सवारी को दूसरी बस में जाने के लिए कहा। हमने सोचा कि आज हम दिल्ली की ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। करीब एक घंटे बाद दूसरी बस आधी भरी हुई आई। समस्त सवारी किसी तरह उस बस में एडजस्ट हुईं। बस किसी तरह ट्रेन के रवाना होने के करीब 15 मिनट पहले जम्मू बस स्टैंड पहुंची और वहां से हमने रेलवे स्टेशन के लिए रिक्शा किया और हमने बड़ी मुश्किल से दिल्ली के लिए ट्रेन ली।

****

हेमेन्द्र सिंह
अनुभाग अधिकारी

चम्बा चुख

वैसे तो चम्बा चुख सूखी लाल मिर्च से बनी चटनी होती है जिसे मैंने कुछ बदलावों के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है।

सूखे मसाले:	**मुख्य सामग्री:**
1. 1 छोटी चम्मच धनिये के बीज 2. 1 छोटी चम्मच सरसों के बीज 3. 1 छोटी चम्मच अजवाइन के बीज 4. 1 छोटी चम्मच मेथी दाना 5. 1 छोटी चम्मच जीरा 6. 1 चम्मच सौंफ 7. 2 चुटकी हींग एक पैन को अच्छी तरह गर्म करें और फिर आंच को मध्यम कर दें। इसमें हींग के अतिरिक्त बाकी सामग्री को मध्यम आंच पर तब तक भूनें जब तक कि उनमें से अच्छी खुशबू न आने लगे, ध्यान रखें कि सामग्री जले नहीं। एक प्लेट में निकाल लें और पूरी तरह से ठंडा होने दें और फिर मिक्सी में दरदरा पीस लें।	1. 2 कप हरी मिर्च तीखी (बारीक कटी) 2. 1 कप लहसुन कलियां 3. ¼ कप अदरक (पिसा हुआ) 4. ½ कप सेब का सिरका 5. नमक स्वाद अनुसार 6. 1 चम्मच हल्दी पाउडर 7. 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर 8. 2-3 बड़ी चम्मच गुड़ या शक्कर स्वादानुसार 9. ½ कप सरसों का तेल अपनी स्वाद की वरीयता के अनुसार आपको कम तीखी चटनी चाहिए तो आप पसंद के अनुसार तीखी मिर्च की मात्रा को शिमला मिर्च से अदल- बदल भी कर सकते हैं।

विधि :

1. एक पैन या कढ़ाई में सरसों का तेल तब तक गरम करें जब तक कि वह धुआं न छोड़ने लगे। अब आंच को मध्यम करके आधा मिनट बाद इसमें हींग डालकर पांच से दस सेकेंड के बाद अदरक के पेस्ट और कटी हुई लहसुन कलियां डाल दें और आंच को सामान्य कर इसे कड़छी से चलाते रहें, जब लहसुन थोड़ा पारदर्शी हो जाए तब पहले से तैयार किया हुआ सूखा मसाला डालें और इसे चार से पांच मिनट तक कड़छी से चलाते रहें।

2. अब इसमें दोनों प्रकार की कटी मिर्च मिला दें, इसे भी चार से पांच मिनट तक ढक कर पकाएं और बीच-बीच में कड़छी से चलाते रहें।
3. अब इस सामग्री में गुड़ या शक्कर भी मिला लें और कड़छी से चलाते रहें।
4. दो मिनट बाद सेब का सिरका भी मिलाएं।
5. पूरे मिश्रण को मध्यम आंच पर आखिर के पांच से सात मिनट तक पकाएं, बीच-बीच में चलाते रहें। स्वाद चखें और ज़रूरत हो तो नमक, शक्कर या मसाले मिला लें।
6. इस अचार को पूरी तरह ठंडा होने दें और इसे साफ, सूखी, हवा बंद शीशे की बोतल में भरकर रख लें।

टिप्पणियां :

1. मैंने यहां कच्ची घानी सरसों का तेल इस्तेमाल किया है।
2. मैंने यहां अदरक और लहसुन की जितनी मात्रा का इस्तेमाल किया है, वह हमारे स्वाद के लिए एकदम सही है। आप अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार इनमें से ज्यादा या कम सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं।
3. आमतौर पर चम्बा चुख को मीठा करने के लिए चीनी या शहद का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहां गुड/शक्कर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चुख को तीखा रखना चाहते हैं, तो आप गुड़/चीनी/शहद का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें।
4. चम्बा चुख को खट्टा करने के लिए नींबू (पहाड़ी गलगल या चूख) के रस का इस्तेमाल किया जाता है परन्तु दिल्ली में अनुपलब्धता के कारण

मैंने सेब के सिरके का उपयोग किया है। अपने स्वाद की वरीयता के आधार पर इसकी मात्रा बढ़ा/घटा सकते हैं।

5. क्योंकि हम घर पर बहुत मसालेदार भोजन नहीं खाते हैं, मैंने इस चम्बा चुख को पारंपरिक रूप से अधिक तीखा के साथ साथ इसे थोड़ा मीठा बनाया है, ताकि इसका तीखापन कम हो सके।
6. कुछ हिमाचली लोग सूखे मेवे खुबानी, किशमिश और इसी तरह की अन्य चीजों को गर्म पानी में कुछ देर भिगोते हैं, फिर उन्हें पीसकर चुख में मिला देते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया।
7. इस विधि से बना आचार साफ, सूखे, हवा-रोधी कंटेनर में फ्रिज में रखने पर ज्यादा समय तक टिकता है। चुख को निकालने के लिए सिर्फ़ साफ, सूखी चम्मच का इस्तेमाल करें ।

मुझे उम्मीद है कि आप भी यह चम्बा चुख रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको भी यह उतनी ही पसंद आएगी जितनी हमें ।

****

डॉ. स्नेहा शर्मा
परामर्शदाता

बिहारी ठेकुआ रेसिपी

मीठे, खस्ता और कुरकुरे ठेकुआ बिहार और झारखंड की एक पारंपरिक रेसिपी है। इसे खासतौर पर छठ पूजा के दौरान बनाया जाता है।

आवश्यक सामग्री - ठेकुआ रेसिपी

- गेहूं का आटा - 2 कप (300 ग्राम)
- गुड़ - 3/4 कप (150 ग्राम)
- नारियल - ½ कप कद्दूकस किया हुआ (50 ग्राम)
- तेल/घी - तलने के लिए
- घी - 2 टेबल स्पून आटे में मिलाने के लिए
- इलायची - 5

विधि:

1. गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। गुड़ के टुकड़े और लगभग आधा कप पानी एक भगोने में डालकर गर्म करें। जब उबाल आ जाए, तो चमचे से चलाकर सुनिश्चित करें कि गुड़ अच्छे से घुल गया है। गुड़ घुलने के बाद, इसे छान लें ताकि कोई अशुद्धि न रह जाए।
2. गुड़ के घोल में घी मिलाकर इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें। इलायची को छीलकर उसका पाउडर बना लें।
3. एक बर्तन में आटा डालें, उसमें कुटी इलायची और कद्दूकस किया हुआ नारियल मिलाएं। फिर गुड़ के घोल से एक सख्त और थोड़ा सूखा आटा गूंथ लें।
4. आटा तैयार करने के बाद, कढ़ाई में तेल/घी डालकर गर्म करें। आटे का थोड़ा सा हिस्सा लेकर उसे हथेली से लंबे आकार में बनाएं। फिर, इसे सांचे पर रखकर हल्का सा दबाएं ताकि डिज़ाइन बन जाए। यदि आप गोल

ठेकुआ बनाना चाहते हैं, तो आटे को गोल आकार दें।

5. यदि आपके पास सांचा नहीं है, तो आप घर में मौजूद छलनी, प्लास्टिक बास्केट या कद्दूकस का उपयोग कर सकते हैं।
6. सारे ठेकुआ बना लेने के बाद, उन्हें मध्यम गर्म तेल/घी में डालकर तलें। ठेकुआ को मध्यम और धीमी आंच पर ही तलना चाहिए। जितने ठेकुआ आ जाएं, उतने डालें और पलट-पलट कर सुनहरा होने तक तलें। जब ये ब्राउन हो जाएं, तो इन्हें निकालकर पेपर नैपकिन बिछी प्लेट में रखें।
7. इसी तरह सभी ठेकुआ बना लें।

आपका स्वादिष्ट ठेकुआ तैयार है। इन्हें ठंडा होने दें और फिर एयर-टाइट कंटेनर में रख लें। जब चाहें, निकालकर खा सकते हैं। ठेकुआ को आप एक महीने तक उपयोग कर सकते हैं।

सुझाव:
आप ठेकुआ में अपनी पसंद के अनुसार काजू, किशमिश, छुहारे या अन्य सूखे मेवे डाल सकते हैं।

****

जितना पुरुष मुक्त है, स्त्री भी होनी चाहिए !!

समानता के स्थिर पर समाज हमें चाहिए !
जितना पुरुष मुक्त है, स्त्री भी होनी चाहिए !!

क्यों जन्म से इसी तरह हीण होती नारियां !
लड़का हो तो शुक्रिया, लड़की हो तो गालियां !!

लड़का मांगे खिलौना, मिले कार, प्लेन, गाड़ियां !
लड़की भी ललचाई, मिला चूल्हा, दूल्हा, गुड़ियां !!

इस फर्क विहीन तर्क से सतर्क होना चाहिए !
जितना पुरुष मुक्त है, स्त्री भी होनी चाहिए !!

अर्पिता गुप्ता
निदेशक, तकनीकी (एनआईसी)

"मैं निर्दोष हूं"

मन के उपवन में मैंने
मेहनत के बीज बोए
सच्चाई की खाद दी
ईमानदारी से उसे सींचा
फिर भी उसमें लगने वाले फूलों में
झूठ की महक थी
बेईमानी का रंग था
दोष मेरा नहीं
दोष मन की मिट्टी का भी नहीं
यह दोष तो जमाने की हवा का है
जिसके हर कण में
स्वार्थ है, फरेब है, तिरस्कार है

****

"समर्पित"

मेरा हर गीत है समर्पित तुम्हें
तुम्हें कुछ न दे सकी, यह है विवशता मेरी
पर मेरा स्वप्निल संसार है अर्पित तुम्हें
स्वयं ही शून्य हूं, तुम्हें क्या नज्ल करूं
मैं न सही, कोई तो करेगा गर्वित तुम्हें
और कोई शृंगार नहीं मेरे पास
मेरे भावों की मंदाकिनी ही करेगी, शोभित तुम्हें
तुमसे क्यों छुपूं, तुमसे क्या छुपाऊं
मेरे दिल का हाल, तो है, विदित तुम्हें
मेरा हर गीत है, समर्पित तुम्हें ।

नरेन्द्र कुमार
अवर सचिव (न्याय तक पहुंच)

'हमारा संविधान हमारा सम्मान' अभियान

गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष का समारोह मनाने के लिए, न्याय विभाग ने पूरे भारत में साल भर चलने वाले अभियान, ***'हमारा संविधान हमारा सम्मान' का गर्व से उद्घाटन किया।*** एक स्मरणोत्सव से कहीं अधिक, यह पहल प्रत्येक नागरिक के लिए 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में सक्रिय योगदान देने के लिए एक ज़बरदस्त आह्वान बन गई। इस पहल का शुभारंभ दिल्ली में एक भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ किया गया, जहां भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री जगदीप धनखड़ के साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री अर्जुन राम मेघवाल ने "हमारा संविधान हमारा सम्मान" पहल का उद्घाटन किया। इसके तहत महत्वपूर्ण गतिविधियों की शुरुआत हुई, जिसमें संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत इस पहल के प्रमुख उप-अभियानों से हुई जिसमें सबको न्याय-हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान शामिल थे।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत "जन सेवा जनता के द्वार" नामक नागरिक केंद्रित सेवा मेलों के आयोजन पर चर्चा की गई जिसमें देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कानूनी सेवाओं पर कार्यशालाएं आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें नव भारत, नव संकल्प उप-अभियान पर भी चर्चा की गई, जिसमें नागरिकों ने ऑनलाइन गतिविधियों जैसे पंच प्रण प्रतिज्ञा पढ़ना, संविधान पर प्रश्नोत्तरी, पोस्टर बनाना और रील बनाने की प्रतियोगिताओं में भाग लिया, इसमें विधि जागृति अभियान पर भी चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न तरीकों से नागरिकों तक कानूनी जानकारी का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कानून के छात्रों द्वारा आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में वर्ष 2021-2023 के लिए दिशा उपलब्धि पुस्तिका का विमोचन भी किया गया और नागरिकों की कानूनी जिज्ञासाओं का उनकी भाषा में समाधान करने के लिए मल्टी-मॉडल इंटरफेस बनाने हेतु भाषिणी के साथ सहयोग को औपचारिक रूप प्रदान किया गया।

इस कार्यक्रम में विधि के छात्र, विधि के शिक्षक, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), पैरालीगल, ग्राम स्तर उद्यमी (वीएलई) और जन सेवा केंद्र (सीएससी), मीडिया आदि के अधिकारी सहित 650 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। देशभर में वर्ष भर चलने वाले इस अभियान को राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक कोने में पहुंचाने के उदेश्य से 70 लाख से अधिक दर्शकों से विभिन्न सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से संपर्क किया गया।

बीकानेर में पहला क्षेत्रीय आयोजन

राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने के बाद, इसका पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम 9 मार्च 2024 को बीकानेर में आयोजित किया गया और इसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनिंद्र

मोहन श्रीवास्तव और राजस्थान सरकार के कानून मंत्री श्री जोगा राम पटेल और राजस्थान सरकार के अन्य उच्च-स्तरीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

इस कार्यक्रम में जमीनी स्तर पर कानूनी सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए नवाचारों जैसे कि भारत के 500 आकांक्षी ब्लॉकों के लिए "न्याय सहायक" कार्यक्रम आधिकारिक रूप से रिलीज़ किया गया। इस कार्यक्रम में वॉयस ऑफ़ बेनिफ़िशियरीज का एक विशेष महिला संस्करण और राजस्थान की एक राज्य पुस्तिका भी प्रदर्शित की गई, जिसमें टेली-लॉ कार्यक्रम के विकास और कवरेज को दर्शाया गया। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों ने मानवीय गरिमा के महत्व और भारत में तकनीकी उन्नति की आवश्यकता पर भी बात की।

माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भारत के संविधान में मानवीय गरिमा के महत्व तथा भारत में तकनीकी उन्नति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत के निर्णयों का हिंदी भाषा में अनुवाद तथा जिला न्यायिक अवसंरचना में सुधार जैसी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत पर जोर दिया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान को नागरिकों तक पहुंचाने में जन सेवा केन्द्रों के योगदान तथा 8 जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बीकानेर बार एसोसिएशन के 75 अधिवक्ताओं की उनकी कानूनी सेवाओं के लिए सराहना भी की।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने उपस्थित लोगों से मानसिक अधीनता के बंधनों को तोड़ने और व्यक्तियों की अंतर्निहित गरिमा को बनाए रखने की बात कही। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने नागरिकों से संवैधानिक चर्चाओं को बढ़ावा देने और स्वतंत्रता, समानता और न्याय को बनाए रखने के लिए **"संविधान कट्टा" बनाने का आग्रह किया** । उन्होंने सहयोग की मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया, जिसमें नागरिकों को 10 नए व्यक्तियों तक संदेश पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो कानूनी जागरूकता और सशक्तीकरण के लिए इसे अन्य 10-10 नागरिकों तक ले जाएंगे। इस कार्यक्रम में 900 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें बार एसोसिएशन, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और क्षेत्र स्तरीय टेली-लॉ कार्यक्रम के अधिकारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे।

प्रयागराज में दूसरा क्षेत्रीय आयोजन

वर्ष भर चलने वाले समारोह का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज में हुआ, जहां माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ-साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार गुप्ता भी उपस्थित रहे।

इस कार्यक्रम में न्याय विभाग द्वारा माई गॉव प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाए गए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीतने वाले नागरिकों को सम्मानित किया गया। न्याय विभाग के न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत प्रो-बोनो पैनल के निर्माण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रयासों की सराहना की गई और माननीय न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्री राजीव भारती की सराहना की गई। इस दौरान "हमारा संविधान हमारा सम्मान" पर एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया जो आम जनता के बीच सरल और समझने में आसान तरीकों से संवैधानिक शिक्षा पहुंचाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में काम करेगा।

इस कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत और डिजिटल रूप से भाग लिया। बार एसोसिएशन के सदस्य, कॉमन सर्विस सेंटर के ग्राम स्तरीय उद्यमी, न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अभियान के तहत प्रतियोगिता जीतने वाले नागरिक, न्यायिक अधिकारी और जिला एवं स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

गुवाहाटी में तीसरा क्षेत्रीय आयोजन

इस कार्यक्रम का तीसरा क्षेत्रीय आयोजन 19 नवंबर, 2024 को आईआईटी गुवाहाटी, असम में किया गया। इस कार्यक्रम में श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री, मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति श्री विजय बिश्नोई, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति श्री लानुसुंगकुम जमीर, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, असम ने सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया।

इस समारोह में लगभग 1400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के अधिकारी, असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, गुवाहाटी बार एसोसिएशन के अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के ग्राम-स्तरीय उद्यमी

(वीएलई), नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी के छात्र और संकाय, आईआईटी गुवाहाटी के वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके अलावा, न्याय विभाग के कई प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम की पहुंच और समावेशिता में योगदान मिला।

कार्यक्रम की शुरुआत संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के सम्मान में पौधे लगाने के एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक भाव के साथ हुई। इन महिला सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। **'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत यह** देश की लोकतांत्रिक नींव को आकार देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण अक्सर अनदेखी की गई भूमिका को उजागर करने का एक प्रयास था।

इस कार्यक्रम के दौरान संविधान कट्टा पत्रिका का भी अनावरण किया गया, जिसमें 75 कहानियां हैं जो रोजमर्रा के जीवन में भारतीय संविधान के प्रभाव को दर्शाती हैं। इसके अलावा, एक हास्य पुस्तक भी जारी की गई जिसमें 10 लाभार्थियों की वास्तविक जीवन की कहानियां हैं जिन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए टेली-लॉ और न्याय बंधु कार्यक्रमों का उपयोग किया है। इसके अलावा, आठ पॉडकास्ट भी जारी किए गए, जो नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करने में टेली-लॉ और न्याय बंधु कार्यक्रमों की भूमिका पर केंद्रित हैं

हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम (दिनांक 24.01.2025 को प्रयागराज में आयोजित किया गया)

यह कार्यक्रम प्रयागराज के अरैल घाट स्थित परमार्थ त्रिवेणी पुष्प पर सम्पन्न हुआ, जहां अभियान की सफलता और इसकी उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए कई प्रमुख गतिविधियां आयोजित की गईं । यह महत्वपूर्ण अवसर संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक समागमों में से एक महाकुंभ मेले के साथ-साथ आयोजित किया गया जहां लाखों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। प्रयागराज में एचएस अभियान के समापन समारोह के साथ इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन का संगम यह विशेष महत्व रखता है, तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों के एक साथ आने का प्रतीक है।

कार्यक्रम की मुख्य बातें : उपलब्धि पुस्तिका का विमोचन: माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा उपलब्धि पुस्तिका का विमोचन किया गया, जिसमें "हमारा संविधान हमारा सम्मान" अभियान की यात्रा का विवरण है, जिसमें इसका शुभारंभ, क्षेत्रीय कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और वर्ष भर आयोजित विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं।

- **न्याय विभाग के 2025 कैलेंडर का शुभारंभ:** अभियान के विषयों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला 2025 कैलेंडर भी लॉन्च किया गया।

- **एचएस2 अभियान पर फिल्म का विमोचन** : एचएस2 अभियान की वर्ष भर की यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक फिल्म का अनावरण किया गया, जिसमें ऑडियो-विजुअल के माध्यम से इसका सार प्रस्तुत किया गया।

"हमारा संविधान हमारा सम्मान" अभियान भारतीय संविधान, उसके इतिहास और आज की दुनिया में उसकी प्रासंगिकता के बारे में जागरूकता फैलाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है। प्रयागराज में समापन समारोह इस महत्वपूर्ण पहल का भव्य समापन है और "हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान" की शुरुआत का जश्न मनाएगा, जो देश भर में नागरिकों को जोड़ने के सामूहिक प्रयासों का समारोह होगा।

****

राष्ट्रीय मिशन, न्यायिक सुधार अनुभाग की ओर से

संक्षिप्त रिपोर्ट

भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ समारोह-भारत @75: अतीत, वर्तमान और भविष्य

दिनांक: रविवार, 14 अप्रैल, 2024
स्थान: हॉल संख्या-6, विज्ञान भवन, नई दिल्ली

भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष पूरा होना नए भारत के सपने को साकार करने, समारोह मनाने और योगदान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे राष्ट्र को जोड़ने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा वर्ष भर चलने वाले अनेक कार्यक्रमों और गतिविधियों की परिकल्पना की गई थी। इसकी शुरुआत 24 जनवरी, 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किए गए वर्ष व्यापी अखिल भारतीय अभियान 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' के शुभारंभ के साथ हुई।

14 अप्रैल, 2024 को न्याय विभाग ने भारतीय संवैधानिक गणराज्य के 75 वर्ष पूरे होने और न्याय प्रणालियों को बेहतर बनाने में संवैधानिक आदर्शों की भूमिका को चिह्नित करते हुए "भारत@75: अतीत, वर्तमान और भविष्य" का आयोजन किया । इस समारोह का महत्व इस तथ्य से और बढ़ गया कि यह अंबेडकर जयंती यानी भारत के संविधान के जनक डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती के उत्सव के साथ साथ मनाया गया । संविधान के प्रमुख निर्माता और देश के पहले विधि मंत्री के रूप में उनकी प्रभावशाली विरासत के प्रतीक के रूप में न्याय विभाग के कार्यालय परिसर में डॉ. बी.आर. अंबेडकर जी की एक प्रभावशाली प्रतिमा का अनावरण किया गया।

भारत @75 में न्याय की उभरती रूपरेखा पर अग्रणी विचारकों, अधिवक्ताओं और शिक्षाविदों के साथ एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा प्रचारित संवैधानिक आदर्शों और "भारत" के लोकतांत्रिक संस्थापकों और सिद्धांतों को मूर्तरूप देने में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की भूमिका की पहचान की गई ।

पैनल चर्चा-I

"संवैधानिक आदर्शों के माध्यम से न्याय प्रदान करने की प्रणाली में सुधार"

संचालक:
- प्रो. (डॉ.) अनुराग दीप, प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली।

पैनलबद्ध:
- प्रो. (डॉ.) अमर पाल सिंह, कुलपति, आरएमएनएलयू, लखनऊ।
- प्रो. (डॉ.) श्रुति बेदी, निदेशक, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज और सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक पॉलिसी, पंजाब यूनिवर्सिटी।
- प्रो. अमित बिंदल, प्रोफेसर, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, सोनीपत।

संविधान ऐसे न्याय विजन को दर्शाता है जो कानूनी ढांचे मात्र से परे है। जब हम न्याय प्रदायगी प्रणालियों में सुधार के लिए रास्ते तलाशते हैं, तो यह जरूरी है कि हम अपने संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ इसके संरेखण की जांच करें।

संवैधानिक आदर्श कानूनी संस्थाओं और प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और वैधता का आकलन करने के लिए एक मानक प्रदान करते हैं। वे न्याय प्रदान करने में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करते हैं। एक बेहतर न्याय प्रणाली की हमारी खोज में, संवैधानिक मूल्य हमें ऐसे अभिनव समाधान तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं जो हाशिए पर पड़े समुदायों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं, कानूनी सशक्तिकरण, वैकल्पिक विवाद समाधान और सभी के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को बढ़ावा देते हैं।

जैसा कि हम भारत@75 और उससे आगे की यात्रा पर हैं, न्याय प्रदान करने की खोज शाश्वत है और संवैधानिक अनिवार्यताओं के साथ जटिल रूप से जुड़ी हुई है। इस चर्चा का उद्देश्य यह बताना और पता लगाना था कि संवैधानिक आदर्श किस तरह से अधिक कुशल, न्यायसंगत और सुलभ न्याय प्रदायगी प्रणाली के हमारे प्रयास में एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते हैं।

<u>पैनल चर्चा-II</u>

"भारत" की लोकतांत्रिक संस्थाओं और सिद्धांतों को आकार देने में अंबेडकर की भूमिका की पहचान"

"संविधान महज वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का माध्यम है और इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा है" -डॉ. बी.आर. अंबेडकर

संचालक:

- डॉ. पी. पुनीत, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

पैनलबद्ध:

- प्रो. (डॉ.) योगेश प्रताप सिंह, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, त्रिपुरा।
- डॉ. उदय शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, आरजीआईओआईपीएल-आईआईटी, खड़गपुर।
- प्रो. (डॉ.) नूपुर तिवारी, सामाजिक न्याय भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में डॉ. अंबेडकर चेयर की चेयर प्रोफेसर।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने राष्ट्र को परिभाषित करने वाली लोकतांत्रिक संस्थाओं और सिद्धांतों को साकार करने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सामाजिक न्याय के निरंतर समर्थन ने "भारत के लोकाचार" पर एक अमिट छाप छोड़ी। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में, उन्होंने इसमें न्याय और समानता के सिद्धांतों को शामिल किया, जिससे देश के लिए एक अद्वितीय परिवर्तनकारी संवैधानिक चार्टर सुनिश्चित हुआ।

जैसा कि भारत समकालीन चुनौतियों की जटिलताओं से जूझ रहा है, इस पैनल ने डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण की परिवर्तनकारी शक्ति पर चर्चा की, जो हमें सभी नागरिकों के लिए निष्पक्षता और समानता पर जोर देते हुए समाधान की ओर मार्गदर्शन करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि देश विकास की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता रहे।

****

प्रवीण कुमार अग्रवाल
सहायक अनुभाग अधिकारी

मिडिल क्लास की स्थिति

"मिडिल क्लास" का होना भी किसी वरदान से कम नहीं है।
जिंदगी में कभी बोरियत महसूस नहीं होती।
जिंदगी में कुछ न कुछ आफत लगी ही रहती है।

मिडिल क्लास की स्थिति सबसे दयनीय होती है।
न इन्हें तैमूर जैसा बचपन नसीब होता है, न अनूप जलोटा जैसा बुढ़ापा।
फिर भी अपने आप में उलझते हुए व्यस्त रहते हैं।

मिडिल क्लास का होना भी एक फायदा है।
चाहे बी एम डबल्यू का भाव बढ़े या ऑडी का या फिर आई फोन लॉन्च हो जाए
कोई फर्क नहीं पड़ता।

मिडिल क्लास लोगों की आधी जिंदगी तो
झड़ते हुए बाल और बढ़ते हुए पेट को रोकने में ही चली जाती है।

मिडिल क्लास वालों के यहां कपड़ों की तरह ही
खाने वाले चावल की भी तीन वैरायटी होती हैं
डेली, कैजुवल और पार्टी वाला ।

छानते समय चाय पत्ती को दबाकर अंतिम बूंद तक निचोड़ लेना ही
मिडिल क्लास वालों के लिए परम सुख की अनुभूति होती है।

इनका फैमिली बजट इतना सटीक होता है कि सैलरी अगर
31 की बजाय 1 को आए, तो गुल्लक फोड़ने की नौबत आ जाती है ।

मिडिल क्लास लोगों की आधी जिंदगी तो "बहुत मंहगा है"
बोलने में ही निकल जाती है ।

इनकी भूख भी होटल के रेटों पर निर्भर करती है ।
महंगे होटलों की मैन्यू-बुक में मिडिल क्लास अपनी औकात ढूंढ रहा होता है ।

मिडिल क्लास.... जो तेल सर पर लगाते हैं
वही तेल मुंह पर भी रगड़ लेते हैं ।

एक सच्चा मिडिल क्लास गीजर बंद करके तब तक नहाता रहता है
जब तक कि ठंडा पानी आना शुरू न हो जाए ।

रूम ठंडा होते ही ए सी बंद करने वाला मिडिल क्लास
चंदा देने के वक्त नास्तिक हो जाता है और प्रसाद खाने के वक्त आस्तिक ।

मिडिल क्लास फिर भी हिम्मत करके पैसा बचाने की बहुत कोशिश करता है
लेकिन बचा कुछ भी नहीं पाता ।

मिडिल क्लास के सपने भी लिमिटेड होते हैं
टंकी भर गई , मोटर बंद करनी है, गैस पर दूध उबल गया है
इसी टाइप के सपने आते हैं ।

दिल में अनगिनत सपने लिए बस चलता ही जाता है,
चलता ही जाता है ।

****

कल्याणी
डीईओ

मां

बीमार हो तो दवा बन जाती है !
टूटे दिल की दुआ बन जाती है ॥
धूप सेकने जब मुझे छत पर ले जाती है !
फिर अपनी ही छाया में बैठाती है ।
मां तू कैसे पढ़ लेती है मीलों दूर से मेरे अंतर मन की बात !
कैसे मुझे हर वक्त कहती है,
ऐसे कर अच्छे हैं हालात ॥
जैसे ही तुझे फोन लगाने का ख्याल आता है !
उसी वक्त तेरा कॉल आ जाता है ॥
क्यों मेरा हर दर्द तुझे मुझसे ज्यादा सताता है !
क्यों मेरे हाथ का बना खाना तुझे सबसे ज्यादा भाता है ॥
तू मुझको भरते भरते खुद को खाली कर देती है !
क्यों तू लिखते लिखते मेरी किस्मत अपने कागजात जाली कर लेती है ॥
क्यों तुझे मेरा हर फटा ख्वाब सिलना है ।
क्यों तुझे अपना हर सपना मेरे अक्षों से जीना है ॥

****

वरुण कुमार शर्मा
कार्यालय सहायक

"एक नजर पिता पर भी"

यदि जन्म देती है मां, तो जीवन को जीना सिखाता है पिता ।
यदि पैरों पर चलना सिखाती है मां, तो पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता ।।

यदि बोलना सिखाती है मां, तो बोलना है क्या, ये सिखाता है पिता ।
अस्पताल में यदि दर्द सहती है मां, तो अस्पताल के बाहर चिंता में समय बिताता है पिता।।

कभी मां तो रो-कर कह भी देती है, दिल का हाल, पर आंसुओं को पी-कर रह जाता है पिता ।
कभी कंधे पर, तो कभी घोड़ा बनकर दिन रात घुमाता है, वो है पिता ।।

यदि मीठी सी लोरी सुनाती है मां,
तो कभी न भूल जाने वाली कहानी है पिता ।

यदि मां जरूरत पड़ने पर बेच सकती है अपने गहने,
पर अपने आप को ही, जो बेच दे, वो शक्स है पिता ।।

पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता ही सभी नन्हें से परिंदे का आसमान है ।
पिता से ही ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सभी खिलौने अपने हैं ।।

विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, मां-बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है ।
विश्व में सभी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं, यदि बेटे के रहते हुए मां – बाप असमर्थ हैं ।।

पिता उस दीये की तरह है, जो खुद जलकर, औलाद का जीवन रौशन करता है ।
पिता के बिना जिंदगी वीरान है, सफर तन्हा और राह सुनसान है ।

***

कल्पना,
मार्फत श्री एम. एल. गुप्त
परामर्शदाता (रा.भा.)

महत्वपूर्ण जानकारी

मानव शरीर में रक्त का बड़ा महत्व है। रक्त के बिना मानव शरीर बेजान हो जाता है। रक्त को चार वर्गों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक रक्त वर्ग में + (पॉज़िटिव) एवं – (नेगेटिव अर्थात Rh फ़ैक्टर के अनुसार) मिलकर कुल आठ वर्ग बनते हैं। रक्त वर्ग 'A', 'B' और 'O' की ग्रुप प्रणाली की खोज कार्ल लैंड्सटैनर ने 1900 में की थी। किसी एक रक्त वर्ग के व्यक्ति में निम्नानुसार दूसरे रक्त वर्गों के व्यक्तियों का रक्त समायोजित हो सकता है।

O- (नेगेटिव) रक्त वर्ग का व्यक्ति O- (नेगेटिव) रक्त वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है।
O + (पॉज़िटिव) रक्त वर्ग का व्यक्ति O+(पॉज़िटिव) , O- (नेगेटिव) रक्त वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है ।
A- (नेगेटिव) रक्त वर्ग का व्यक्ति A- (नेगेटिव), O- (नेगेटिव) रक्त वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है।
A+ (पॉज़िटिव) रक्त वर्ग का व्यक्ति A+(पोजेटिव), A- (नेगेटिव), O+(पोजेटिव),O- (नेगेटिव) रक्त वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है।
B- (नेगेटिव) रक्त वर्ग का व्यक्ति B- (नेगेटिव) ,O- (नेगेटिव) रक्त वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है।
B+(पॉज़िटिव) रक्त वर्ग का व्यक्ति B+(पॉज़िटिव) ,B- (नेगेटिव),O+ (पॉज़िटिव),O- (नेगेटिव) रक्त वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है।
AB- (नेगेटिव) रक्त वर्ग का व्यक्ति AB- (नेगेटिव),B- (नेगेटिव), A- (नेगेटिव), O- (नेगेटिव) रक्त वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है।
AB+ (पॉज़िटिव) रक्त वर्ग का व्यक्ति AB+ (पॉज़िटिव), AB- (नेगेटिव), B+ (पॉज़िटिव), B- (नेगेटिव), A+(पॉज़िटिव), A- (नेगेटिव), O- और O+ (पॉज़िटिव) रक्त वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है।
O-(नेगेटिव) रक्त वर्ग सर्वदाता होता है।
AB+ (पॉज़िटिव) रक्त वर्ग सर्वग्राही होता है।
निम्नोक्त रक्त वर्ग के माता-पिता की निम्नानुसार रक्त वर्ग की संतान जन्म ले सकती है।

O x A	=	O या A	A x B	=	A, B, O, AB
O x B	=	O या B	A x AB	=	A,B, AB
O x AB	=	A या B	B x B	=	O,B
O x O	=	O या O	B x AB	=	A,B,AB
A x A	=	O या A	AB x AB	=	A,B,AB

एंटीबॉडी - रक्त में एंटीबॉडी होती है जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। A रक्त वर्ग में B रक्त वर्ग की एंटीबॉडी होती है तथा B रक्त वर्ग में A रक्त वर्ग की एंटीबॉडी होती है । इसके अलावा O रक्त वर्ग में A रक्त वर्ग एवं B रक्त वर्ग दोनों की एंटीबॉडी होती है जबकि AB रक्त वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। इसमें शरीर का प्रतिरक्षण WC द्वारा किया जाता है। प्रतिरक्षण के लिहाज से O रक्त वर्ग अधिक सशक्त होता है।

****

कीर्ति शर्मा पुत्री वरुण शर्मा
कार्यालय सहायक

परी हूं – कली हूं

परी हूं आसमान की, अम्बर की फिर धरा पे मुझे क्यूं डाला है।
कली हूं गुलाब की कमल की फिर कौन-सा रंग मुझपे डाला है।
पहले बनी जिस घर की बेटी उसने ही घर से निकाला है।
छूटा सखियों का पाला है।
परी हूं आसमान की, अम्बर की फिर धरा पे मुझे क्यूं डाला है।
फिर बनी जिस घर की लाज मैं दिया उसने भी देश निकाला है।
छूटा सपनों का पाला है।
परी हूं आसमान की, अम्बर की फिर धरा पे मुझे क्यूं डाला है।
फिर बनी राजा की रानी, उसने भी कलंक लगाया है।
दिया अग्नि का आला है।
परी हूं आसमान की, अम्बर की फिर धरा पे मुझे क्यूं डाला है।
फिर तो बंधी ममता की डोर से पड़ा धरती के मुख में समाना है।
मां फिर मुझे, यहां ना लाना।
परी हूं आसमान की, अम्बर की फिर धरा पे मुझे क्यूं डाला है।

****

अनहिता त्रिपाठी (कक्षा - 8)
पुत्री श्री गौरव कुमार त्रिपाठी, अवर सचिव

मेरी शिमला यात्रा

शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है जो भारत में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। मेरी एक बार वहां जाने की बड़ी इच्छा थी । तभी सौभाग्य से पापा के साथ शिमला जाने का मौका मिला। मैं बहुत खुश थी, मैं अपने परिवार के साथ ट्रेन से शिमला पहुंची। वहां का मौसम बहुत अच्छा था। मैं और मेरा परिवार सर्किट हाउस में रुके। हम लोग शाम को विशमला नगर की शोभा देखने निकले। वहां का नजारा बहुत ही सुन्दर था, हम लोग माल रोड गए जो कि वहां का सबसे रोचक दृश्य था । वहां घूमना बहुत रोमांचक था। शिमला की खूबसूरत वादियां, हरी-भरी पहाड़ियां और बर्फ से ढके पर्वत अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इस यात्रा के लिए हमने अपने सामान में गर्म कपड़े व जूते और अन्य आवश्यक चीजें पैक की थीं। माल रोड घूमने के बाद हम आराम करने के बाद दूसरे दिन सुबह कुफरी घूमने गए वहां ट्रैकिंग और स्कीइंग जैसी साहसिक गतिविधियों में मैं बारिश की वजह से भाग नहीं ले पाई । फिर हम लोग जाकू टेम्पल गए जहां हम लोग रोपवे से गए थे । वहां 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति थी, जो पूरे शिमला से दिखाई दे रही थी।

मैंने शिमला में कई सारे पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। इन जगहों ने मुझे शिमला की असली सुंदरता से परिचित कराया। शिमला के स्थानीय भोजन ने मेरे स्वाद को भी बदल दिया। तीसरे दिन मैं राष्ट्रपति निवास गई, वह बहुत सुंदर था और वहां की गाइड द्वारा दी गयी जानकारी बहुत ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक थी ।

मुझे शिमला यात्रा बहुत खूबसूरत लगी वहां का मौसम बहुत अच्छा था। इस यात्रा ने मुझे कई अच्छे अनुभव दिए। मैं खुश थी कि मुझे पापा और अपने परिवार के साथ एक बहुत ही अच्छा समय बिताने का मौका मिला। शिमला में कई इमारतों की वास्तुकला विशिष्ट है। यहां का सबसे अच्छा हिस्सा कुफरी में याक की सवारी है, जो शिमला से 16 किलोमीटर दूर है। इस जगह पर सुंदर प्राकृतिक उद्यान है।

शिमला का शांत वातावरण खुशनुमा माहौल और हरे-भरे वातावरण के साथ एक खूबसूरत शहर है जहां घूमना हर किसी की इच्छा होती है। शिमला की जलवायु और मौसम की स्थिति कुछ-कुछ जम्मू और कश्मीर की तरह है। यह भारत के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। शिमला ट्रिप के आखिरी दिन हम तारा देवी मंदिर गए जो एक धार्मिक स्थान है। यहां हमने प्रसाद खाया जिसका स्वाद हमारे मन में बस गया। शिमला में लकड़ी का एक प्रसिद्ध बाजार है, जिसमें लकड़ी की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हमने वहां से घर के लिए कुछ सामान खरीदे। चार दिनों के बाद हमें वापस आना पड़ा। समय कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। स्थान इतने सुदंर थे कि हमें वापस जाने का मन नहीं था। यह यात्रा बहुत ही रोचक और आनंददायक थी। शिमला की हमारी यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव था। काश हम इस अद्भुत हिल स्टेशन का एक बार फिर से दौरा कर पायें। यह मेरे जीवन की सबसे सुंदर एवं सुखद यात्रा थी।

****

अभिज्ञान वर्मा
पुत्र – श्री नरेंद्र कुमार वर्मा
अनुभाग अधिकारी

भट्टूजी की सगाई

भट्टूजी पड़ गए चक्कर में एक लड़की के भाई;
ठान ली अपने मन में, उसी से करनी मुझे सगाई।

उसी से करनी मुझे सगाई, वरना रहूं आजन्म कुवांरा,
इस जीवन में मिली नहीं तो लूंगा जन्म दुबारा।।

मन में भरकर आस, पहुंचे मम्मी-पापा के पास,
बोले पापा से –'अब बनें श्वसुर, और मम्मी बन जा सास।

जवान हो गया हूं मम्मी, अब तो कर दे मेरी सगाई,
अब तक बेटा बना रहा, अब तो बनूं जमाई॥'

शील-गुण सम्पन्न है लड़की, मम्मी को समझाए,
लाख जतन किए तब जाकर पापा राह पर आए।

ले परिणय-प्रस्ताव पिता-पुत्र पहुंचे लड़की के द्वार,
संग लिए छोटे भाई को, अड़ोस-पड़ोस दो-चार।

बैठाया उनको वधू-पक्ष ने कर आदर-सत्कार,
किन्तु प्रस्ताव-स्वीकृति से पहले कर दी प्रश्नों की बौछार॥

वर पक्ष ने भी किए प्रश्न, कुछ अच्छे, कुछ ओछे,
बैठेगा यह ऊंट किस करवट, भट्टू रह-रह मन में सोचे।
बात-बात में बात बढ़ी, अब शुरू हुई तकरार,
माहौल हो उठा गर्म और हुआ गर्म बाजार।
छिड़ गया द्वंद्व वर-वधू पक्ष में, लेकर छोटी-सी बात--
'शादी में क्योंकर लड़की के मांगा जाता हाथ?'

बात-बात में लग गई शर्त, इसका उत्तर जो बतलाए,
फेरे चार लगाकर ही वह दूल्हन को ले जाए।

सुनकर शर्त, वर पक्ष के लग गए होश ठिकाने,
बुद्धि कुंद हुई सभी की, इसका उत्तर भगवान ही जाने।

गूंगे-बहरे हुए सभी, कोई बोल नहीं कुछ पाया,
किन्तु मन में सोचकर कुछ, छोटू ने अपना हाथ उठाया।

बोला- 'मिलता है जब हाथ, हाथ से, तभी बजती है ताली,
हाथ मांगकर ही लड़की के, लड़के को मिलती है घरवाली

लड़की बनी दुल्हन छोटू की, भट्टू मलते रह गए हाथ,
सिर धुने, मन में पछताए, छोटू को क्यों ले गए अपने साथ !

****

संतोष कुमार
आशुलिपिक (रा.भा.)

दैनिक प्रयोग में आने वाले अंग्रेजी और हिंदी वाक्यांश

1	acceptance is awaited	स्वीकृति की प्रतीक्षा है
2	accord approval to	कृपया .... को अनुमोदित करें, कृपया... को मंजूर करें
3	accordance with, in	के अनुसार
4	according to	के अनुसार
5	acknowledge receipt	पावती दें, प्राप्ति सूचना भेजें
6	acknowledge, kindly	कृपया, प्राप्ति की सूचना भेजिए
7	acknowledgement has already been sent	पावती पहले ही भेजी जा चुकी है
8	acting in good faith	सद्भाव से कार्य करते हुए
9	acting in his discretion	स्व-विवेक से कार्य करते हुए
10	action as at 'A' above	ऊपर 'क' के अनुसार कार्रवाई की जाए
11	action at once please	कृपया फौरन कार्रवाई करें
12	action has already been taken in the matter	इस मामले की कार्रवाई की जा चुकी है
13	action has not yet been initiated	कार्रवाई अभी शुरू नहीं की गई
14	action is required to be taken early	शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है
15	action may be taken accordingly	तदनुसार कार्रवाई की जाए
16	action may be taken as proposed	यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए
17	action taken thereon	उस पर की गई कार्रवाई
18	action would be taken forthwith	कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिए
19	address all concerned	सर्व-संबंधित को लिखा जाए
20	adequate consideration, after	समुचित विचार के बाद
21	adjourned sine die	अनिश्चित काल के लिए स्थगित
22	administrative approval may be obtained	प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए
23	admission with permission	अनुमति लेकर भीतर आइए, अनुमति लेकर अंदर आएँ
24	advice awaited	सलाह की प्रतीक्षा है
25	advise accordingly	तदनुसार सूचित करें
26	advise telegraphically	तार से सूचित करें

27	affected, prejudicially	प्रतिकूल रूप से प्रभावित
28	after adequate consideration	समुचित विचार के बाद
29	after consultation with	... से परामर्श करने के बाद
30	after perusal	देख लेने के बाद, अवलोकन के बाद
31	after taking into consideration all aspects of the question	मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद
32	against public interest	लोकहित के विरुद्ध
33	agenda is sent herewith	कार्यसूची साथ भेजी जा रही है
34	agree with 'A' above	मैं ऊपर क से सहमत हूँ
35	agreed	सहमत हूँ
36	agreed to	सहमति है
37	aid and advice	सहायता और सलाह
38	all concerned should note	सर्व संबंधित नोट करें
39	am desired to say	मुझे निवेदन करने के लिए कहा गया है
40	am directed to	मुझे निदेश हुआ है
41	am to add	मुझे यह भी लिखना है कि
42	am to say	मुझे कहना है कि
43	amounting to	समतुल्य होना, कोटि में आना
44	apparent on the face of the record	अभिलेख से ही स्पष्ट है
45	approval may be accorded	अनुमोदन प्रदान कर दिया जाए
46	approved of appropriate authorities may be obtained	उपर्युक्त अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए
47	approved as per remarks in the margin	हाशिये की अभ्युक्ति के अनुसार अनुमोदित
48	approved as proposed	यथा प्रस्तावित अनुमोदित
49	approved draft typed and put up for signatures please	अनुमोदित मसौदा टाइप करके हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत
50	arrangement may be made	व्यवस्था की जाए
51	as a last resort	अंतिम उपाए के रूप में
52	as a matter of fact	वस्तुतः
53	as a result of	के परिणामस्वरूप
54	as above	जैसा ऊपर दिया है
56	as already pointed out	जैसा कि पहले बताया जा चुका है
57	as amended	यथा संशोधित
58	as an exceptional case	अपवाद के रूप में
59	as decided	यथा निर्णीत, निर्णय के अनुसार
60	as directed	निदेशानुसार
61	as far as may be	यथाशक्य, जहां तक हो सके
62	as far as possible	यथा-संभव
63	as far as practicable	यथासाध्य
64	as he may think fit	जैसा वह उपयुक्त समझें
65	as in force for the time being	जैसा कि फिलहाल लागू है
66	as is where is	जैसा है जहां है
67	as laid down	यथा निर्धारित
68	as last resort	अंतिम उपाय के रूप में

69	as a matter of fact	यथार्थतः, वस्तुतः
70	as may be considered expedient	जैसा कि समीचीन प्रतीत हो
71	as may be necessary	यथावश्यक, जैसा आवश्यक हो
72	as modified	यथा संशोधित, यथा परिवर्तित
73	as per details below	नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार
74	as proposed	यथा प्रस्तावित
75	as recommended	यथा संस्तुत, सिफ़ारिश के अनुसार
76	as required	आवश्यकतानुसार, जैसा जरूरी हो
77	as revised	यथा परिशोधित / यथा संशोधित
78	as rule	नियमतः
79	as soon as may be	यथा संभव शीघ्र
80	as the case may be	जैसी बात हो, यथा प्रसंग
81	as verbally instructed	मौखिक आदेशानुसार
81	ascertain the position	स्थिति का पता लगाएं
82	aspects, from various	विभिन्न पहलुओं / दृष्टि से
83	at the instance of	की प्रेरणा पर, के कहने से
84	attention is invited to	की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है
85	attested true copy	अनुप्रमाणित सही प्रतिलिपि, साक्ष्यांकित प्रति
86	authorize you	मैं आपको प्राधिकार देता हूं
87	await further report	आगे और विवरण की प्रतीक्षा करें
88	backward reference	पूर्व संदर्भ
89	before issue	जारी करने से पहले
90	before the expiry of	.... की समाप्ति के पहले
91	bench and bar	न्यायाधीश और अधिवक्ता
92	benefit of doubt	संदेह लाभ
93	to the best of knowledge and belief	अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार
94	bill has been scrutinized and found in order	देयक की जांच की गई और सही पाया गया
95	bill has been verified, may please be passed for payment	देयक का सत्यापन कर लिया गया, भुगतान के लिए पारित किया जाए
95	bill may please be paid	कृपया बिल का भुगतान किया जाए
96	boarding and lodging	आवास और भोजन
97	brief note is placed below	संक्षिप्त नोट नीचे रखा है
98	brief summary of the case is placed below	मामले का सारांश नीचे रखा है
99	bring into notice	ध्यान में लाना
100	bring into operation	चालू करना, अमल में लाना

****

जनवरी-मई, 2025 सत्र के उद्घाटन समारोह के दौरान न्याय विभाग के पारंगत प्रशिक्षाणार्थियों के साथ केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की प्रशिक्षक सुश्री आकांक्षा मिश्रा

दिनांक 30 सितंबर, 2024 को हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन

दिनांक 30 सितंबर, 2024 को हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन

न्याय विभाग
DEPARTMENT
OF JUSTICE
सत्यमेव जयते

न्याय विभाग
विधि एवं न्याय मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF JUSTICE
MINISTRY OF LAW & JUSTICE

Department Of Justice
18.01.2017
JUSTICE CLOCK

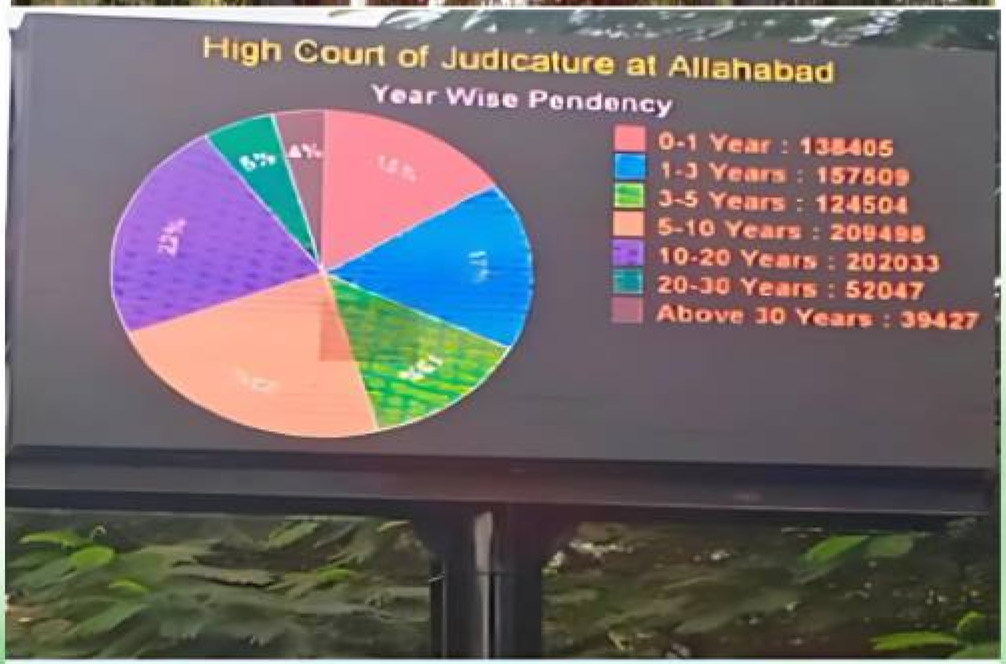
High Court of Judicature at Allahabad
Year Wise Pendency
0-1 Year : 138405
1-3 Years : 157509
3-5 Years : 124504
5-10 Years : 209498
10-20 Years : 202033
20-30 Years : 52047
Above 30 Years : 39427